Par. 8. 17. I. 34. 52.
285

अंक १

संख्या ३४

वृहस्पतिवार

३ जुलाई, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २१०५—२१४६]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २१४६—२१६२]

(मूल्य ४ आने)

404 P.S.D.

बृहस्पतिवार, ३ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूंजी वस्तुयें

*१४२९. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत से सन् १९५१-५२ में किन्हीं पूंजी वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया गया था; तथा

(ख) यदि हां, तो निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य क्या था तथा ये किन देशों को निर्यात की गई थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) मूलै रूप से आयात की गई पूंजी वस्तुओं के पुनर्निर्यात की आज्ञा नहीं दी जाती है, किन्तु भारतीय मशीनरी (यंत्रों) तथा मिल के यंत्रों के, जिस में कि पट्टे तथा मुद्रण और शिलामुद्रण (लिथोग्राफिक) की मशीनें भी सम्मिलित हैं, निर्यात की अनुज्ञा है। सन् १९५१-५२ में इस प्रकार के निर्यातों का मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये था और जिन देशों को ये निर्यात किये गये उन के

नाम इस प्रकार हैं: श्री लंका, ब्रह्मा, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाइलैंड तथा ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका।

सरदार हुक्म सिंह: हम ने उन देशों को जिन यंत्रों का निर्यात किया था उन के बदले में हमें उन से क्या मिला ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि अभी मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह: मैं यह जान सकता हूं कि क्या हम ये जो थोड़ी सी वस्तुयें इन देशों को निर्यात करते हैं उन के लिये वहां एक बाजार तैयार करने में गत तीन वर्षों में हमारे प्रयत्न में कुछ प्रगति हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: आंकड़ों से पता लगता है कि १९४९-५० में ७२ लाख रुपये का व्यापार हुआ था, १९५०-५१ में इस में कमी हो गई थी, क्योंकि इस वर्ष ५४ लाख रुपये का व्यापार हुआ था और १९५१-५२ में एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक का व्यापार हुआ।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि इन पूंजी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्यात शुल्क लिया जाता है जिस से कि उन देशों में हमारा बाजार मन्दा हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वहां पूंजीगत वस्तुओं

पर निर्यात शुल्क अधिक लिया जाता है या कम ।

श्री सारंगधर दास : मैं यह जान सकता हूं कि हम ने जिन वस्तुओं का विशेष रूप से पट्टे का जो निर्यात किया था क्या वे भारत में ही बनी हुई थीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, हम मूल रूप से आयात की हुई वस्तुओं के निर्यात की आज्ञा नहीं देते, किन्तु हम भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही निर्यात करते हैं ।

यहूदियों का प्रव्रजन

*१४३०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इज़राईल के बनने पर भारतीय राष्ट्रीयता के कुल कितने यहूदी भारत से वहां प्रव्रजन कर गये ;

(ख) उन में से कितनों ने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की है ;

(ग) उन में से कितनों को पहिले ही भारत लौट आने की आज्ञा दे दी गई है ; तथा

(घ) कितनों के मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि १९४८ से लेकर अब तक २,३३७ यहूदी भारत छोड़ कर इज़राईल चले गये हैं । यह ज्ञात नहीं कि उन में से कितने भारतीय प्रजाजन थे ।

(ख) लगभग १६५ ।

(ग) लगभग १५० ।

(घ) लगभग १५ ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या अभारतीय राष्ट्रीयता के यहूदियों को भी भारत वापिस आने दिया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : अभारतीय उद्भव के यहूदियों की दो श्रेणियां हैं । कुछ यहूदी तो ऐसे हैं जो कि इजराईल के बनने पर वहां प्रव्रजन करने से पूर्व भारत आये थे और यहां कई वर्ष तक रह चुके थे । दूसरे ऐसे भी हैं जो कि कुछ अन्य देशों से इज़राईल जाते हुये रास्ते में यहां रुक गये थे । भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर उस के गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या जिन्हें वापिस आ करे यहां बसने की आज्ञा दे दी गई है उन्हें नागरिकता के अधिकार मिल गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जो भारतीय नागरिक थे और जिन्हें लौट आने की आज्ञा दे दी गई है उन्हें पुनः भारतीय नागरिकता के अधिकार मिल जायेंगे ।

श्री एस० एन० दास : किन परिस्थितियों के कारण उन्होंने प्रव्रजन किया था और वहां की किन परिस्थितियों के कारण उन्होंने वापिस आने की इच्छा प्रकट की है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न कल्पनात्मक होगा । यह बतलाया गया था कि हो सकता है कि कुछ वापिस आ गये हों । क्या वस्तुतः कोई वापिस आये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, श्रीमान् । बहुत से वास्तव में वापिस आ गये हैं । एक यहूदी राज्य के बनने पर उस धर्म में विश्वास होन के कारण वे भावनावश वहां चले गये थे । किन्तु उन्होंने देखा कि वहां की परिस्थितियां उन के बिल्कुल प्रतिकूल थीं । उन में से बहुतों को जलवायु ही अनुकूल नहीं पड़ी । बहुत से उस देश के आर्थिक जीवन में नहीं खप सके । भारतीय राष्ट्रीयता के यहूदियों के साथ रंगभेद भी किया जाता

आ । उन्हें वहां जीवन बड़ा कठिन दिखाई दिया, अतः बहुत से वापिस आना चाहते थे ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, क्या मैं अपने देश में उन स्थानों को जान सकता हूं जहां ये यहूदी अधिक संख्या में रहते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: वे अधिकांशतया बम्बई और कलकत्ता में रहते हैं ।

रुई (निर्यात)

*१४३१. **डा० पी० एस० देशमुख:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ के लिये विदेशों से कितनी रुई खरीदी गई ;

(ख) किन देशों से रुई खरीदी गई थी और भारतीय रुपयों में प्रति गांठ का मूल्य क्या था ;

(ग) ३० अप्रैल, १९५२ तक कितनी रुई भारत पहुंच चुकी है और शेष के कब तक पहुंचने की आशा है ;

(घ) क्या आयात की हुई इस रुई में से कुछ फालतू भी बच रहेगी जिसे कि इस वर्ष प्रयोग नहीं किया जायगा, और यदि हां, तो कितनी ; तथा

(ङ) इन सब आयात की हुई क़िस्मों के वर्तमान भाव क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य १९५१-५२ की रुई की मौसम (सितम्बर १९५१ से अगस्त १९५२) में खरीदी गई रुई की ओर संकेत कर रहे हैं । यदि यह ठीक है तो पूर्वी अफ़्रीका की रुई को छोड़ कर अन्य विदेशी रुई के क्रय की व्यवस्था मिलें सीधे करती हैं या आयतकों के द्वारा की जाती है । भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के कपास आयोग के साथ मिल कर पूर्वी अफ़्रीका की बहुत सी रुई इकट्ठी ख़रीद ली गई है । चालू मौसम में १,६०,००० गांठों का सौदा किया गया है और पूर्वी अफ़्रीका की निश्चित स्तर की क़िस्म की रुई का मल्य २,४०५ रुपये प्रति खण्डी दिया गया है । मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में वह मात्रा दिखाई गई है जिस के लिये कि १ सितम्बर, १९५१ से ३० अप्रैल, १९५२ तक के लिये अनुज्ञप्तियां दी गई हैं । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**] पूर्वी अफ़्रीका के अतिरिक्त अन्य देशों के मूल्यों पर कोई नियत्रण नहीं है और वे समय समय पर घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिये ये रुई इस वर्ष किस भाव पर ख़रीदी गई है इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) ९,१०,६५१ गांठें । शेष के दिसम्बर, १९५२ के अन्त तक पहुंच जाने की आशा है ।

(घ) इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १८**]

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे विचार में माननीय मंत्री ने बताया कि कुल आयात १.६ लाख गांठ का हुआ था क्या यह १६.० लाख गांठ तो नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी नहीं, श्रीमान् । यह एक लाख साठ हज़ार गांठ हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह सत्य है कि इस वर्ष गत कुछ वर्षों की तुलना में सब से अधिक आयात हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हो सकता है, श्रीमान् ।

डा० पी० एस० देशमुख : यदि यह सत्य है कि इस वर्ष का लक्ष्य १९४८-४९ वर्ष के आयात से दुगुना था तो सरकार ने किन कारणों से इस वर्ष गत पांच वर्षों में सब से अधिक मात्रा में आयात किया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने जिस काल्पनिक आधार पर यह प्रश्न पूछा है मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो प्रतिवेदन में छपा हुआ है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने पहले भी किसी अवसर पर कहा था आयात का प्रश्न स्थानीय संभरण से प्राप्त होने वाली ३४.५ लाख गांठों पर निर्भर है ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो सन् १९४८-४९ से दुगुना है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस में सन्देह नहीं कि यह गत वर्षों से अधिक है । आरम्भ में हम ने बाहर से १६ लाख गांठों का अनुमान लगाया था और अब यह स्थिति है कि हमें केवल १४ लाख गांठें ही मिल रही हैं । यदि मेरे माननीय मित्र मुझ से यह पूछते हैं कि इसके क्या कारण थे, तो मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि परिस्थितियों से बाधित हो कर हम ने ऐसा किया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : कपड़े के मूल्यों का पुनर्निर्धारण कहां तक इस बात के कारण हुआ है क्योंकि विदेशों से आयात की गई रुई इस समय कम भावों पर बिक रही है जब कि हमने उस का बहुत अधिक मूल्य चुकाया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसी जानकारी है जिसे कि मेरे विचार में विदेशी रुई के समय समय पर प्रचलित विक्रय मूल्यों की सूची से पता लगाना होगा । वर्ष की इस तिमाही में निर्धारित मूल्य १० जन, १९५२ को समाप्त होने वाले सप्ताह में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निश्चित किया गया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या इस बात का निश्चय करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि आगामी वर्ष के लिये कितनी रुई का आयात किया जायगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय इस सम्बन्ध में कोई निश्चय करना हमारे लिये कुछ समय से पूर्व होगा ।

श्री एस० जी० पारिख : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि मिलों को केवल सितम्बर, और अक्तूबर इन दो महीनों में ही अमेरिकन रुई खरीदनी पड़ी और इस नीति के कारण मिलों को बहुत अधिक घाटा रहा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा कि मैं ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया अमरीकन रुई खरीदने का काम मिलों पर ही छोड़ दिया जाता है और इस विषय में किसी को बाधित नहीं किया जाता क्योंकि सरकार उन की ओर से नहीं खरीदती । हो सकता है कि उन्होंने ऐसे समय खरीदी हो जो कि उन के लिये हितकर न हो और इस कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ा हो ।

श्री एस० जी० पारिख : दो मास की समयावधि तो थी ही ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अमरीकन रुई के आयात करने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों को दिसम्बर १९५२ तक के लिये बढ़ा दिया गया है और सरकार ने कोई समयावधि निश्चित नहीं की है ।

श्री एन० एस० नायर : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि दो मास पूर्व जो बहुत सी सड़ी हुई रुई बम्बई पहुंची थी उस का क्या हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य उस अमरीकन रुई से है जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उस के सम्बन्ध में भारतीय आयातकों के दावों को सन्तोषजनक रूप से निबटाने के लिये बातचीत चल रही है।

श्रम पदाधिकारी

***१४३२. श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितने सरकारी श्रम पदाधिकारियों को सामाजिक कार्यों के पाठ्यक्रम की प्रशिक्षा दी गई;

(ख) सन् १९५२-५३ में कितनों के प्रशिक्षित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या इस प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य है;

(घ) सन् १९४७ से बाद के कितने प्रशिक्षित पदाधिकारियों को आगे और अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया था; तथा

(ङ) क्या प्रशिक्षित सरकारी श्रम पदाधिकारी अपने पुराने पदों पर कार्य करेंगे अथवा उन की पद वृद्धि कर दी गई है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) सन् १९५०-५१ में ३० तथा सन् १९५१-५२ में २९।

(ख) ३०।

(ग) जी हां।

(घ) ५।

(ङ) प्रशिक्षण के पश्चात् वे अपने पहिले पदों पर पुनः कार्य करते हैं, किन्तु समयानुसार उन्नति कर के उच्च पद पर पहुंच सकते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, क्या मैं उन संस्थाओं के नाम जान सकता हूं जिन में सामाजिक कार्यों के पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है?

श्री वी० वी० गिरि: इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में इस की शिक्षा दी जाती है।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के श्रम पदाधिकारियों के अतिरिक्त और भी किसी व्यक्ति को वहां अध्ययन करने की आज्ञा है?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे विचार में है, किन्तु मुझे पक्का निश्चय नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि श्रम पदाधिकारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों (१९५१) के नियमों को अभी कहां तक लागू किया गया है?

श्री वी० वी० गिरि: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, क्या इस बात का ध्यान रखने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं कि कम से कम कुछ एक उम्मीदवार अनुसूचित जातियों के भी हों?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारत के केन्द्र तथा राज्यों में इस समय जितने पदाधिकारी हैं उन सब को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कलकत्ता का पाठ्यक्रम पर्याप्त है?

श्री वी० वी० गिरि: मैं इस बात की पड़ताल कर रहा हूं।

श्री रघवय्या: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया है?

श्री वी० वी० गिरि: प्रत्येक पदाधिकारी पर ४६२ रुपये।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन प्रशिक्षार्थियों के लिये न्यूनतम प्रवेश अर्हतायें क्या हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : सामान्यतया वे स्नातक होने चाहियें और उन्हें इन चीज़ों के अध्ययन में रुचि होनी चाहिये ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये प्रशिक्षित पदाधिकारी अपने दैनिक कार्यों में श्रमिक संघों के अधिकारियों द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए उन के सम्पर्क में आयेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : निस्सन्देह ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस संस्था को पदाधिकारी भेजने के लिये क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का कोई अभ्यंश निश्चित है ?

श्री वी० वी० गिरि : कोई अभ्यंश निश्चित नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस आधार पर मेरे प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं दी गई । प्रश्न यह था . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं जानता हूं कि प्रश्न क्या था । यह कार्यार्थ एक सुझाव था और लोक नीति के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी इसे पूछने की आज्ञा नहीं दी गई ।

सुअर के बाल

*१४३३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अन्य देशों को निर्यात किये जाने वाले सुअर के बाल नियत प्रमाप के अनुसार श्रेणीबद्ध किये जाते हैं तथा बांधे जाते हैं ;

(ख) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में कितने सुअर के बालों का किन देशों को निर्यात किया गया था ;

(ग) सुअर के बाल किन राज्यों से इकट्ठे किये जाते हैं ; तथा

(घ) इन दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ग) मुख्यतया उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से ।

श्रीमान्, भाग (क) के अन्तर्गत मैं इतना और जोड़ना चाहूंगा कि निर्यात के लिये सुअर के बालों की उत्तमता पर नियंत्रण रखने के लिये एक योजना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है जिस का कि इस विषय से सम्बन्ध है ।

श्री एस० सी० सामन्त : हमें जो विवरण दिया गया है उस से मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत से सुअर के बालों के निर्यात में बड़ी शीघ्रता से वृद्धि हुई है । श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इसे श्रेणीबद्ध करने तथा इस का मानदण्ड निश्चित करने के प्रश्न को शीघ्र ही भारत की प्रमाप संस्था को सौंप दिया जाना चाहिये ?

श्री करमरकर : यह तो कार्य करने के लिये एक सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम इस से इतना अधिक विदेशी धन कमा रहे हैं इन सुअर के बालों को आरम्भ में इकट्ठा करने वालों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री करमरकर: 'आरम्भ में इकट्ठा करने वालों से' क्या तात्पर्य है ?

श्री एस० सी० सामन्त: जो इसे इकट्ठा करते हैं ।

श्री करमरकर: हम ने उन्हें अपने कार्य के लिये बिल्कुल स्वतंत्र रहने दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि हम इतने अधिक डालर कमा रहे हैं इसलिये क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया जाने वाला है । क्या केन्द्रीय सरकार के इस विषय में कोई विचार नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय: वह तर्क में जा रहे हैं । वह क्या जानकारी चाहते हैं ?

श्री एस० सी० सामन्त: हम इतने अधिक डालर कमा रहे हैं । अतः केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह कुछ प्रोत्साहन दे. . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह या तो कार्य करने के लिये सुझाव दे रहे हैं अथवा तर्क कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या आरम्भिक उत्पादकों को कोई सहायता दी जाती है ?

श्री करमरकर : आरम्भिक उत्पादकों को या सुअरों को ही ? मैं माननीय सदस्य के सुझाव को समझ नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय: वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई सहायता देने का इरादा है ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान् ।

सेवा योजनालय

*१४३५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में भारत के सेवा योजनालयों को अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या ;

(ख) उसी अवधि में नौकरी के लिये सहायता लेने के निमित्त पंजीबद्ध किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या ;

(ग) उपरोक्त अवधि में सेवा योजनालयों की सहायता से जिन व्यक्तियों को नौकरी मिली उन की कुल संख्या; तथा

(घ) ऐसे पंजीबद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें मार्च, १९५२ के अन्त तक नौकरी के लिये कोई सहायता नहीं दी जा सकी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):

(क) ४,७४,७९१ ।

(ख) १३,५३,१०७ ।

(ग) ४,०५,६२३ ।

(घ) ९,४७,४८४ ।

मैं इतना और बता दूं कि जब कोई प्रार्थी सम्बद्ध योजनालयों को नियत अवधि की समाप्ति पर यह सूचित नहीं करता कि उसे नौकरी के लिये सहायता की आवश्यकता होगी तो सेवा योजनालय में उस का पंजीकरण समाप्त हो जाता है । यह अवधि साधारणतया दो मास की होती है । जिन्हें अब भी नौकरी के लिये सहायता की आवश्यकता होती है उन के नाम, पते आदि चालू पंजिका में रखे जाते हैं ।

मार्च १९५२ के अन्त में चालू पंजिका में पंजीबद्ध प्रार्थियों की संख्या ३,४१,४२० थी । मार्च १९५२ के अन्त में २०,९३२ रिक्तियों की पूर्ति के लिये जो प्रार्थना पत्र दिये गये थे उन के परिणाम ज्ञात न होने के कारण उन्हें भाग (ग) के उत्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि १९५१-५२ में सेवा योजनालयों द्वारा प्राप्त की गई सेवायें १९४९-५० में प्राप्त की गई सेवाओं की तुलना में, इन दो

वर्षों में पंजीबद्ध किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में कैसी निकलती हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे पास यहां यह जानकारी नहीं है, किन्तु मैं यह जानकारी सदन पटल पर रख दूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, क्या मैं ऐसे कामों की श्रेणियों को जान सकता हूं जिन के लिये कर्मचारी प्राप्त करने के निमित्त सेवा योजनालयों से बहुत अधिक मांग की गई किन्तु जिन के लिये कर्मचारी कम मिले ?

श्री वी० वी० गिरि: बहुत अधिक मांग तो है ही ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: उक्त अवधि में सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध किये गये प्रार्थियों की कुल संख्या में स्त्रियां किस अनुपात से हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हुं कि क्या सेवा योजनालयों के काम को ध्यान में रखते हुए इस का बने रहना न्याय संगत है ?

श्री वी० वी० गिरि: अवश्यमेव, श्रीमान् ।

श्री रघवय्या: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ये सेवा योजनालय उस औद्योगिक क्षेत्र को भी कर्मचारी भेजते हैं जहां हड़ताल हो रही हो ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं ऐसा नहीं समझता। यह तो वैध हड़ताल होती है ।

श्री के० के० बसु: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन प्रतिष्ठानों पर कुल कितना व्यय किया है ?

श्री वी० वी० गिरि: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री पुन्नूस: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि किसी पंजीबद्ध व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने के लिये औसतन कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

श्री वी० वी० गिरि: दो मास ।

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस बात को करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का इरादा है कि जिन व्यक्तियों को नौकरी न मिल सके उन्हें वह नौकरी करने के योग्य बना दिया जाये जिस की कि मांग हो ?

श्री वी०वी० गिरि: जी हां, श्रीमान् ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश परिपत्र जारी किया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिलेगी जो सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध होंगे ।

श्री वी० वी० गिरि: इस प्रकार का कोई परिपत्र नहीं है ।

अखबारी कागज़

***१२३६. श्री पी० एन० राजभोज:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत को अब भी अखबारी काग़ज़ की बड़ी आवश्यकता है ?

(ख) कौन से मुख्य मुख्य देश नियमित रूप से अखबारी काग़ज़ दे रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आस्ट्रिया, कनाडा, फिनलैण्ड, जापान तथा नार्वे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या यह सत्य नहीं है कि अखबारी काग़ज़ की स्थिति सुधर गई है और सरकार पृष्ठों की संख्या

तथा मूल्य पर से नियंत्रण कब हटाने जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : पृष्ठों की संख्या तथा मूल्यपर नियंत्रण भारत तथा पूर्वी समाचारपत्र संस्था की प्रार्थना पर जारी किया गया था जिस में कि देश के प्राय: सभी बड़े बड़े समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि हैं। जब तक वे पृष्ठों की संख्या तथा मूल्य पर नियंत्रण हटाने के लिये सहमत नहीं हो जाते सरकार एक पक्षीय रूप से कुछ न कर सकेगी। किन्तु हम उन से इस बात पर विचार करने के लिये पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि क्योंकि समाचारपत्रों के काग़ज़ की स्थिति अब पहिले से अच्छी हो गई है इसलिये क्या वे अब भी नियंत्रण आदेश को लागू रखवाना चाहते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं जान सकता हूं कि भारत को कुल कितने अख़बारी काग़ज़ की आवश्यकता होती है ?

श्री करमरकर : इस समय लगभग ६४,००० टन की।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न पूछा गया था और इस का उत्तर दे दिया गया था।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में इस के बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से गत सप्ताह या इस से पूर्व इस का उत्तर दे दिया गया था। इस का विस्तार से उत्तर दे दिया गया था।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को यह विदित है कि अभी हाल ही में रूस से काफी मात्रा में अख़बारी काग़ज़ यहां आया था और रूसियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे किसी भी मात्रा में बहुत ही उपयुक्त मूल्यों पर अखबारी काग़ज़ देने को तैयार हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, श्रीमान्, सरकार को विदित है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार हमें अख़बारी कागज़ के उत्पादन के सम्बन्ध में भारत के आत्म-निर्भर होने के भविष्य के बारे में कुछ निश्चित रूप से बतला सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे भय है हम कुछ निश्चित रूप से नहीं बतला सकते।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से गत सप्ताह इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया था।

श्री बी० शिवा राव : भारत तथा पूर्वी समाचार पत्र संस्था की प्रार्थना को छोड़ कर जो कि एक मत से नहीं की गई थी, इस समय देश में अखबारी काग़ज की स्थिति अधिक अच्छी हो गई है इस बात को देखते हुए मेरे माननीय मित्र अब भी पृष्ठों की संख्या तथा मूल्य पर नियंत्रण जारी रखना आवश्यक समझते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सदन को ज्ञात होगा कि पृष्ठों की संख्या तथा मूल्य निर्धारित करने के लिये छोटे छोटे समाचार पत्रों के वर्गों ने प्रार्थना की थी। यह तो स्पष्ट है कि बड़े बड़े समाचारपत्रों के वर्ग को यह पसन्द नहीं था और इसलिये भारत तथा पूर्वी समाचार पत्र संस्था के इस निर्णय के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सका था। किन्तु प्रत्यक्षत: बहुसंख्या ने इस सुविधा के लिये सरकार से प्रार्थना की थी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह उस के विश्वास का प्रश्न नहीं है, यह तो वस्तुत: इस बात पर निर्भर है कि छोटे छोटे समाचार पत्रों को किस से लाभ होता है क्योंकि वे यह अनुभव करते हैं कि इस से उन्हें सहायता मिलती है। जैसा कि मैं ने बतलाया इस विषय पर पुन: विचार किया जा रहा है। सरकार उपयुक्त समय पर उचित कार्य-वाही करेगी।

चाय उत्पादन

*१४३७. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि हिन्देशिया, पूर्वी अफ्रीका, फारमोसा, हिन्द-चीनी, ईरान तथा मलाया जैसे देशों में चाय का उत्पादन तेज़ी से बढ़ गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कारण इस वर्ष विश्व के बाज़ार में हमारी चाय के लिये क़िसी प्रतिद्वन्द्विता की आशंका है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में कौन से पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जिन देशों का उल्लेख किया गया है उन में चाय के उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) कुछ हद तक ।

(ग) इस समय हमारे चाय उद्योग के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उन की एक विशेष समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को यह विदित है कि अभी हाल में आसाम के चाय उद्योग को भयानक श्रम संकट का सामना करना पड़ा है क्योंकि वहां के श्रमिकों को नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न नहीं मिलता ?

श्री करमरकर : इस कठिनाई के विशेष कारण के अतिरिक्त सरकार इस बात को भी अनुभव करती है कि सम्पूर्ण चाय उद्योग ही कठिनाई में है और इसलिये उस ने दो अधिकारियों को इस की छान बीन करने के लिये भेजा है और हमें शीघ्र ही उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि १९५१ में तथा १९५२ के प्रथम भाग में चाय के निर्यात से कितना विदेशी धन प्राप्त हुआ ?

श्री करमरकर : सन् १९५० तथा १९५१ में चाय का इस प्रकार निर्यात हुआ: सन् १९५० में, ४५३० लाख पौण्ड ; १९५१ में ४४३० लाख पौंड ।

श्री भगवत झा : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारतीय चाय उद्योग पहिले ही आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैण्ड की मण्डियों को खो चुका है ?

श्री करमरकर : यह सत्य नहीं है ।

श्री भगवत झा : यह सत्य है ।

श्री वेंकटारमन : मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये देश अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के सदस्य नहीं है और इसलिये इन्हें चाय की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की स्वच्छन्दता है जब कि भारत पर चाय की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के विषय में प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे विचार से भारतीय चाय नियंत्रण समिति का सदस्य होने के नाते माननीय सदस्य स्वयं यह जानते हैं कि ऐसी ही स्थिति है ।

श्री वेंकटारमन् : मैं अभी दूसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूं । मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या पूर्वी अफ्रीका तथा अन्य देशों से बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्विता को देखते हुए भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय करार का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार इस बात का निरन्तर ध्यान रखती है कि हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय करार का भागीदार होने से कहां तक लाभ होता है । इस समस्या के कई पहलू हैं और उन का सदा अध्ययन किया जाता रहता है ।

श्री वेंकटारमन् : क्या यह सत्य नहीं है कि इस देश में कई एकड़ भूमि ऐसी है जिस में चाय की खेती की जा सकती है और इस करार के कारण ही हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते ?

श्री करमरकर : सत्य तो यह है कि यह एक विस्तृत प्रश्न तथा उत्तर का विषय था और मुझे ऐसा स्मरण है कि मैंने उस समय यह कहा था कि इस अन्तर्राष्ट्रीय करार के अन्तर्गत भारत के लिये जितना कि माननीय सदस्य समझते हैं उस से कुछ कम हद तक क्षेत्रफल बढ़ाना सम्भव है और किसान को भी उस हद तक खेती की भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने की छट है ।

श्री वेंकटारमन् : क्या यह सत्य नहीं हैं कि प्रतिवर्ष क्षेत्रफल में केवल १ प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम तर्क कर रहे हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत में मिश्रण के कारखाने हैं; यदि हैं, तो क्या उन का प्रबन्ध स्वयं भारतीय करते हैं तथा भारतीय ही उन के स्वामी हैं ?

श्री करमरकर : उन में से कुछ भारतीय हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या उन के स्वामी भारतीय हैं तथा उन का प्रबन्ध भी भारतीय ही करते हैं ?

श्री करमरकर : उन में से कुछ हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

*१४४०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** कृपा कर के १९ मई, १९५२ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १ के एक अनुपूरक प्रश्न को निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले उन लोगों की संख्या जो अब भी भारत में हैं ;

(ख) क्या वे अब भी पूर्वी पाकिस्तान वापिस लौट रहे हैं; तथा

(ग) क्या अनुज्ञापत्र प्रणाली से उन की वापसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ठीक ठीक आंकड़े बताना कठिन है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने दिसम्बर १९५० में जो जनगणना की थी उस से यह पता चलता है कि पूर्वी बंगाल से २३,०१,५१४ विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी बंगाल आये थे ।

१ जनवरी, १९५१ से, १९ मई, १९५२ तक दोनों ओर आवागमन जारी रहा । केवल रेल से आने जाने वालों का अभिलेख रखा गया है जिस में प्रव्रजन करने वाले व्यापारी, चोरी छिपे माल लाने ले जाने वाले आदि सभी प्रकार के यात्री सम्मिलित हैं । इस अवधि के आंकड़े इस प्रकार हैं :

पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आने वाले हिन्दू २१,९५,८८८

पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल जाने वाले हिन्दू .....२४,८७,५६३.

इस प्रकार इन आंकड़ों के अनुसार १ जनवरी, १९५१ से २९ मई, १९५२ तक कुल २,९१,६७५ हिन्दुओं का पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल में आगमन हुआ । यदि इस संख्या को दिसम्बर १९५० की जनगणना के आंकड़े में से घटा दिया जाये तो पूर्वी बंगाल से विस्थापित पश्चिमी बंगाल में आने वाले व्यक्तियों की संख्या २०,०९,८३९ रह जाती है ।

इन आंकड़ों में सीमान्त का आवागमन सम्मिलित नहीं है । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि बंगाली हिन्दू तथा बंगाली मुसलमान में भेद करना सदा सरल नहीं होता है क्योंकि वे प्रायः एक जैसे लगते हैं और एक जैसे कपड़े पहनते हैं तथा एक ही भाषा बोलते हैं ।

अन्य राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में आने वाले पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के जो आंकड़े भेजे हैं वे इस प्रकार हैं :—

आसाम ...	२,७४,५२७
त्रिपुरा ...	२,२२,९५०
बिहार ...	४३,३६५

इस प्रकार पूर्वी बंगाल से विस्थापित पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा तथा बिहार में २९ मई १९५२ तक आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का २५,५०,००० से कुछ अधिक अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान में दोनों ओर आवागमन अब भी जारी है । हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से अधिकाधिक विपत्तिग्रस्त लोग पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में आ रहे हैं, संभवत: इस का कारण वहां आर्थिक अवस्था का और अधिक खराब हो जाना है ।

(ग) पारपत्र प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अभी पाकिस्तान से चर्चा चल रही है । भारत सरकार का यह पूरा इरादा है कि पारपत्र की सुविधाओं को इस प्रकार लागू किया जाये जिस से कि अप्रैल १९५० के दिल्ली समझौते के अन्तर्गत प्रव्रजन करने वालों को दिये गये अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े । उन्हें ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान सरकार का भी यही इरादा है ।

डा० राम सुभग सिंह: प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि पारपत्र प्रणाली जारी करने के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य चल रही बातचीत में किस अंश तक प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अंश को मापना तो कठिन है, किन्तु यदि मोटे तौर पर कहा जाय तो ९० प्रतिशत ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हो गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य यात्रा के लिये यह पारपत्र प्रणाली किस तिथि से लागू होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी नहीं । किन्तु संभवत: सितम्बर में किसी दिन से लागू होगी ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या दोनों देशों के मध्य पारपत्र विनियम एक समान ही होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, यदि वे किसी करार के परिणामस्वरूप तय होंगे तो उन में बहुत अधिक समानता होगी ।

श्री टी० के० चौधरी: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या हाल में पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल को शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि हुई है ?

अध्यक्ष महोदय: वह हाल के आगमन के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: ये आंकड़े मई के अन्त तक के हैं । मुझे शेष के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है । परन्तु कुछ लोग आये अवश्य हैं और यदि मैं यह कहूं कि ये एक नये प्रकार के ही शरणार्थी हैं अर्थात् अत्यधिक विपत्तिग्रस्त लोग हैं । सत्य तो यह है कि बहुत से भिखारी आये हैं और यदि मैं यह कहूं कि दोनों ही प्रकार के भिखारी—हिन्दू भिखारी भी और मुस्लिम भिखारी भी—और मुझे ज्ञात हुआ है कि कलकत्ता में उदाहरण के लिये सियालदह स्टेशन पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गये हैं और इस समय हमारे सामने उन की देख भाल करने तथा उन की सहायता करने का प्रयत्न करने की एक समस्या उत्पन्न हो गई है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या प्रधान मंत्री सदन को यह बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि लोग पारपत्र प्रणाली के जारी करने के कारण केवल भारत लौट आने के लिये अपनी परिसम्पत् तथा सम्पत्तियों को बेचने के लिये ही पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैं समझता हूं मेरे विचार में इस पारपत्र प्रणाली के प्रश्न में इधर या उधर प्रव्रजन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है । अधिकांशतया इस पर आर्थिक कारणों का ही प्रभाव पड़ा है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार ने पुर्वी बंगाल से प्रव्रजन में इस नई वृद्धि के कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस अर्थ में इस में वृद्धि नहीं हुई है । सत्य तो यह है कि मेरे पास गत दो सप्ताहों के आंकड़े नहीं हैं—शेष से यह देखा जा सकता है कि अधिक लोग पूर्वी बंगाल जा रहे हैं । यह सत्य है कि कष्ट के कारण भी पूर्वी बंगाल से चले आ रहे हैं । दोनों ओर ही आवागमन हो रहा है और जैसा कि मैं ने कहा इस के बहुत से कारण हैं किन्तु इस का तात्कालिक नया कारण पूर्वी बंगाल की आर्थिक अवस्था का खराब हो जाना प्रतीत होता है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह केवल आर्थिक अवस्था के खराब हो जाने के कारण हुआ है अथवा सामाजिक और राजनैतिक अवस्थायें आदि भी इस के कारण हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य जानते हैं कि जिन शक्तियों की ओर वह संकेत कर रहे हैं वे सदा ही वहां कार्य करती रही हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान समाचारपत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सियालदह स्टेशन पर बहुत से शरणार्थी इकट्ठे हो गये हैं और मैं स्वयं उस स्थान को देख आया हूं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने अभी बताया कि वहां बहुत से शरणार्थी हैं ।

श्री के० के० बसु : माननीय प्रधान मंत्री ने जो यह उत्तर दिया है कि पाकिस्तान में आर्थिक अवस्था बहुत खराब है और इसलिये लोग वहां से चले आ रहे हैं इस को ध्यान में रखते हुए क्या हम यह मान लें कि यहां की आर्थिक अवस्था पाकिस्तान से भी अधिक खराब है क्योंकि भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह तो एक प्रकार का तर्क सा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : भारत में शरणार्थियों की संख्या का अनुमान लगाते समय क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के जनगणना के आंकड़ों तथा पाकिस्तान के बनने के समय उस की जनसंख्या के आरम्भ के आंकड़ों को ध्यान में रख लिया है जिस के अनुसार कि मोटे तौर पर यह ९२ लाख तथा १ करोड़ और ३० लाख के बीच का अन्तर होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई पक्के परिणाम निकालना कठिन है । मेरे विचार में एक बार इन आंकड़ों की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया था किन्तु इन से कुछ परिणाम निकालने से पहले हमें उन की पूर्णतया पड़ताल करनी होगी ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को पूर्वी पाकिस्तान स्थित अपने अभिकरणों द्वारा अथवा अन्य स्रोतों से पारपत्र प्रणाली को जारी करने से पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के मन में किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वहां अल्पसंख्यक के समुदायों के मन में विभिन्न कारणों से सदा ही भय रहा है । मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन्हें उस के अतिरिक्त और कोई भय तो नहीं हो गया है । जी हां, यह तो सत्य है कि पारपत्र प्रणाली को जारी करने के प्रस्ताव का वस्तुतः पूर्वी बंगाल या पश्चिमी बंगाल दोनों ही ओर के अल्पसंख्यकों ने स्वागत नहीं किया था । किन्तु मैं यह नहीं समझता कि हाल की घटनाओं में इस बात का कोई बहुत अधिक महत्व रहा है और वास्तव में पारपत्र प्रणाली के सम्बन्ध में अब तक जो करार हुए हैं उन में पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में काफी सरलता से यात्रा करने की सुविधाओं की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

पारपत्र जारी करने के सम्बन्ध में कराची सम्मेलन

*१४४१. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने कृपा की करेंगे :

(क) क्या, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य पारपत्र जारी करने के सम्बंध में हुए हाल के कराची सम्मेलन के कोई निश्चित परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या इस विषय में दिल्ली अथवा कहीं अन्यत्र एक और सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव है ; तथा

(ग) कौन कौन सी बातों पर कोई समझौता नहीं हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) प्रस्तावित प्रणाली की कई एक विस्तृत बातों पर तथा कुछ एक दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बंध में समझौता हो गया है ।

(ख) जी नहीं । शेष बातों पर दोनों सरकारों के मध्य चर्चा चल रही है ।

(ग) क्योंकि चर्चा अभी चल रही है इसलिय सरकार को खेद है कि वह इस सम्बंध में विस्तृत विवरण बतलाने में असमर्थ है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या पारपत्र के विभिन्न प्रकारों के सम्बंध में कोई सुझाव दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सब से पहली बात तो यह है कि जिस के पास अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र हो वह इसका प्रयोग कर सकता है । किंतु इस के अतिरिक्त कुछ अधिक सीधे सादे पारपत्र बनाने का विचार है—जो कि बहुत अधिक खर्चीले तथा पेचीदा न हों । ये पारपत्र एक जैसे होंगे । वे एक यात्रा के लिये या अनेक यात्राओं के लिये हो सकते हैं अथवा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन के लिये किसी द्रष्टांक की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि दोनों राज्यों को जन संख्या के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रकार के पारपत्र लागू होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पारपत्र विभिन्न प्रकार के नहीं होंगे । किंतु पारपत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियां होंगी । इस का अर्थ यह है कि पूर्वी महाखंड में अर्थात् एक ओर तो पूर्वी पाकिस्तान में तथा दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में आने जाने की बहुत अधिक सुविधायें होंगी । सब से पहले तो सीमान्त के दोनों ओर रहने वाले लोगों को और दूसरे उन लोगों को जिन के सम्बंधी हों, जिन की वहां सम्पत्ति हो—व्यापारियों आदि—को तथा इसी प्रकार के कुछ वर्गों को कुछ अतिरिक्त सुविधायें देने का विचार है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि पारपत्र प्रणाली पूजा महोत्सव के ठीक पहले लागू न की जाये ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, यह बात हमारे सामने नहीं रखी गई है। माननीय सदस्य को स्मरण है कि पारपत्र प्रणाली का यह सारा विचार ही हमारी सरकार की ओर से नहीं रखा गया है। यह आरम्भ में पाकिस्तान ने रखा था और पहले इसे १५ जून को लागू करने का इरादा था। तथापि, कोई विशेष तिथि नियत नहीं की गई है, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है इस के सितम्बर के मध्य में कभी लागू किये जाने की सम्भावना है।

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि पूजा के दिनों में पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल दोनों ओर से बहुत से लोग सीमा पार करते हैं और उन के लिये पारपत्र प्राप्त करना बड़ा कठिन होगा...

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति।

श्री एच० एन० मुखर्जी: इस समय चल रही चर्चा में किसी प्रकार की बाधा डाले बिना क्या सरकार हमें इस विषय में कुछ बतला सकती है कि इस समय जो चर्चा चल रही है उस के बीच पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल आने वाले लोगों के हितों को कोई हानि न होने पाय इस से बचने की कोई सम्भावना है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि पारपत्र प्रणाली जारी होने के पश्चात् ?

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या आप हमें इस सम्बंध में कुछ बतला सकते हैं कि इस समय जिस प्रकार की चर्चा चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए जो लोग इधर उधर जायेंगे उन के हितों को कोई वास्तविक हानि न पहुंचे इस से बचने की कोई सम्भावना है?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस विषय में सामान्यतया हम सहमत हैं कि हमें—इस समय मेरा तात्पर्य भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार से है—इस बात से बचना चाहिये ऐसी कोई हानि न होने पाये और मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। स्वाभाविकतया, मैं इस प्रणाली के कारण होने वाली किसी असुविधा के न होने की प्रत्याभूति नहीं दे सकता।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को यह विदित है कि सीमान्त प्रदेश में ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहां कि किसान लोग सीमा के आर पार आते जाते रहते हैं और क्या पारपत्र प्रणाली जारी करते समय उन की स्थिति पर विचार कर लिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, सीमान्त क्षेत्रों के संबंध में, अर्थात् कुछ दूरी के अन्दर—या सम्भवत: कुछ विशेष गांवों का उल्लेख कर दिया जाये अथवा किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख कर दिया जाये—कृषि संबंधी कार्यों, छोटे मोटे व्यापार तथा इसी प्रकार की चीज़ों के लिये लोगों के लिये सीमा पार करना बिल्कुल सरल होगा।

बाबू रामनारायण सिंह: इस पासपोर्ट (पारपत्र) के संबंध में जो शर्तें और शरायत भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में हो रही हैं और होंगी, उन के बारे में प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) को ऐसी आशा है कि पाकिस्तान सरकार अपनी शरायत को पूरा करेगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू: प्राइम मिनिस्टर हमेशा अच्छी आशायें रखता है।

बाबू रामनारायण सिंह: इसीलिये प्राइम मिनिस्टर धोखा ही खाते हैं।

प्रमाणित मानों की संहिता

***१४४२. श्री एस० वी० रामस्वामी:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में निर्मित वस्तुओं के लिये कोई प्रमाणित मानों की संहिता है ?

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के समान भारत में भी कोई प्रमाप विभाग (ब्यूरो आफ़ स्टैंडर्डस) है ?

(ग) क्या कोई ऐसी सरकारी संस्था है जो इस बात की परीक्षा करती हो कि निर्मित वस्तुऐं निश्चित मान के अनुसार हैं और उन मानों में एक रूपता स्थापित करती हो।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) औषधियों तथा रसायनों के निर्माण के अतिरिक्त जिन के लिये कि औषधि अधिनियम १९४० में मान निर्धारित किये हुए हैं, भारत में निर्मित वस्तुओं के लिये कोई प्रमाणित मानों की संहिता नहीं हैं।

(ख) जी हां, भारतीय प्रमाप संस्था अमरीकन प्रमाप संस्था का ही प्रतिरूप है।

(ग) जी हां, सरकारी संस्थायें हैं जिन में कि परीक्षा की जाती है। किंतु भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा निर्धारित मान स्वेच्छा से अपनाने के लिये है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मेंगनीज़ जैसे खनिज पदार्थों के लिये भी कोई इस प्रकार का मान निश्चित है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

मैगनेसाइट प्रस्तर

***१४४३. श्री एस० वी० रामस्वामी**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह सत्य है कि मैगनेसाइट प्रस्तर बड़ी मात्रा में सलेम जिले से जापान भेजा जा रहा है ?

(ख) इसे किन वस्तुओं के निर्माण में काम में लाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रारम्भिक ऊष्मसह (बेसिक रिफ्रेक्टरीज़), मैगनेशियम धातु तथा रासायनिक उत्पाद।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं इस प्रकार के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सन् १९५१-५२ में इस प्रकार के कुल निर्यात ११,३९,८११ हंडरवेट के हुए। इन का मूल्य ५५,४५,६४२ रुपय था।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या ऐसी कोई वस्तुऐं हमारे देश में बनाई जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें यहां बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या चालू वर्ष में भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली मात्रा में सामान्यतया कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो गत वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस में सामान्यतया वृद्धि हुई है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह बतला सकता हूं कि सन् १९४९-५० में कुल निर्यात ८,११,८३१, हंडरवेट के लगभग हुआ, सन् १९५०-५१ में ३,४९,२११ हंडरवेट का हुआ तथा इस की तुलना में सन् १९५१-५२ में ११ लाख से कुछ अधिक का निर्यात हुआ। मैं प्रतिशतता तो नहीं बतला सकता हूं।

डा० पी० एस० देशमुख : मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री चट्टोपाध्याय : मैं जान सकता हूं कि अमरीका में जो विशाल पुनः शस्त्रीकरण हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए क्या अमरीका के एक पुछल्ले देश को इस प्रकार की युद्ध के लिये महत्वपूर्ण वस्तु भेजना उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । वह तो सम्मति पूछ रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि ये पदार्थ किन देशों को तथा कितनी मात्रा में निर्यात किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं देशों के नाम तथा उन्हें भेजी गई मात्रा बतला सकता हूं किन्तु इसमें बहुत समय लगेगा यदि माननीय सदस्य इसे जानना चाहते हैं तो मैं सदन पटल पर एक विवरण रख दूंगा ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में मैंगनेसाइट से इस्पात के नलों आदि के अचालक आवर्ण बनाने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री रघवय्या : मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने जापान सरकार के साथ नें मैनेसाइट प्रस्तर के निर्यात के संबंध में कोई क़रार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सत्य है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में इसे जापान भेज रहे हैं, किंतु मैं माननीय सदस्य को तुरन्त यह नहीं बतला सकता कि इस संबंध में कोई क़रार है या नहीं—सम्भवतः नहीं है ।

बचाव केन्द्र

***१४४४. श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय कोयला खान सहायता नियम, १९३९ में, जैसा विचार किया गया था उसके अनुसार कोयला क्षेत्रों में अब तक कोई बचाव केन्द्र खोले गये हैं, तथा

(ग) यदि हां, तो कितने और किन कोयला खानों के क्षेत्रों में ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) दो, एक झरिया में झरिया के कोयला क्षेत्रों के लिये और दूसरा सीतारामपुर में रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिये ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं यह जान सकता हूं कि इन में किन परिस्थितियों में क्या कार्य किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : ये बचाव केन्द्र हैं और जब कभी कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इन से लोगों को बचाने के कार्य में सहायता मिलती है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या इन्होंने अभी तक कोई जीवन बचाये हैं ? क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना मिली है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, उन्होंने बचाये हैं । सन् १९५०-५१ में सीतारामपुर केन्द्र के क्षेत्र की चार खानों में तथा झरिया केन्द्र के क्षेत्र की १५ खानों में बचाने का काम किया गया था ।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सुविधा अभ्रक की खानों को भी दी जाने वाली है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री० बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं कि ये बचाव केन्द्र अच्छी प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जहां तक मैं जानता हूं अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या ये बचाव के नियम मैसूर के सोने के क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : पूर्व सूचना चाहिये ।

आयात किये हुये कपड़े के क्रेता के विरुद्ध दावे

*१४४६. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९५१ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १७५-ग के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १५ लाख रुपये का जो दावा निलम्बित था वह उस के बाद से तय हो चुका है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) उस पक्ष के साथ यह मामला चल रहा है ।

श्री एस० एन० दास : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में १९५० में इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था । मैं जान सकता हूं कि इतना विलम्ब किस कारण हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है वह इस की परिस्थितियों से अवश्य परिचित होंगे । इस दावे का कारण यह है कि सम्बद्ध पक्ष ने माल नहीं छुड़ाया था और माल को खुले बाजार में बेच दिया गया जिस के परिणाम-स्वरूप १५ लाख रुपये की हानि हुई यही उस दावे का विषय है । वह पक्ष इसे चुका नहीं सकता है और यदि कोई पक्ष सुदृढ़ न हो तो सम्भवतः न्यायालय में जाने से कोई लाभ नहीं है । इस मामले की जांच की जा रही है । यदि न्यायिक विधि से धन वसूल करना हमारे लिये सम्भव हुआ तो सरकार अवश्य ऐसा करेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह दावा किस वर्ष से लटका हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तीन वर्ष से भी अधिक पुराना है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या इस बात का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है कि अन्त में हानि के लिये कौन उत्तर-दायी था और क्या किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने बताया सरकार को जो कुल हानि हुई थी यह उस के एक अंश के सम्बन्ध में है और मुझे मालूम नहीं माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं या नहीं कि यह १९४६ से चला आ रहा है जब कि भारत सरकार ने जापान से कतिपय कपड़े की चीजें खरीदी थीं । इस समय तो स्थिति केवल यह है कि जिस पक्ष ने माल छुड़ाने का वायदा किया था उस ने माल छुड़ाने से इन्कार कर दिया है और इस लिये उसी के हानि लाभ पर ये चीजें बेच दी गई थीं । सरकार उस पक्ष से शेष राशि जो कि १५ लाख रुपये के लगभग आती है वसूल करने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि वैधानिक कार्य-वाही की जाने वाली थी, किन्तु खरीदने वाले के प्रार्थनापत्र देने पर सारे प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया और यदि हां, तो इस पुनर्विचार का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि यदि वसूली की सम्भावना हो तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकती हैं । सरकार इस बात की छानबीन कर रही है कि क्या वसूली की सम्भावना है । यदि वसूली

की कोई सम्भावना नहीं हो तो वैधानिक कार्यवाही निष्फल हो जायेगी ।

जांच आयोगों के प्रतिवेदन

*१४४७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** १० अगस्त, १९५१ को पूछे गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १६३ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अप्रैल, १९५० के भारत पाकिस्तान क़रार के खण्ड ग (६) के अन्तर्गत उपद्रवों के कारण तथा विस्तार के सम्बन्ध में जांच करने तथा अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये बनाये गये जांच के आयोगों के प्रतिवेदनों के संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो इन के भारत तथा पाकिस्तान में प्रकाशन की तिथि ; तथा (ग) क्या इन संक्षिप्त विवरणों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जायेंगी ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) संक्षिप्त विवरणों में वस्तुतः क्या लिखा जाये तथा उन्हें किस तिथि को प्रकाशित किया जाये इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के मध्य देर से पत्रव्यवहार हो रहा है । ज्यों ही इस विषय में कोई निर्णय होगा, संक्षिप्त विवरण की प्रतियां सदन पटल पर रख दी जायेंगी ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को देखते हुये कि इन जांच आयोगों के प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं होने वाले हैं क्या सरकार कम से कम आयोग की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को सदन पटल पर रखेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने भी बिल्कुल हो कहा है ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन आयोगों की सिफ़ारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र: दोनों सरकारों ने प्रतिवेदनों का विनिमय कर लिया है । परन्तु इन प्रतिवेदनों की सिफ़ारिशों तथा इन में जो कुछ लिखा हुआ है उस के सम्बन्ध में दोनों में मतभेद है ।

श्री एस० एन० दास : इन उपद्रवों के मुख्य कारण क्या थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य उन उपद्रवों के कारण जानना चाहते हैं जो फ़रवरी-मार्च १९५० में हुये थे । इस संक्षिप्त से प्रश्न के उत्तर में इतने बड़े विषय का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता था कि उपद्रवों के कारणों के सम्बन्ध में आयोग ने क्या परिणाम निकाले थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के प्रश्न का कैसे उत्तर दिया जाये ; विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं ।

नदी परियोजनायें

*१४४९. **श्री आल्तेकर:** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस समिति के प्रधान श्री बी० एस० हिरे के नेतृत्व में एक समिति ने (१) खडकवसला, (२) वीर, (३) कुकड़ी, (४) मूला, और (५) गिरनी नदी परियोजनाओं को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये अभ्यावेदन किया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई निश्चित किया गया है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क). जी हां।

(ख) जी नहीं :

श्री आल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि इन परियोजनाओं से कितने क्षेत्रफल तथा किस प्रकार की भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ?

श्री नन्दा: मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये।

श्री आल्तेकर : इन परियोजनाओं के अन्तर्गत जो क्षेत्र आयेगा उस में एक दशाब्दि के अन्दर वर्षा के अभाव के कारण कितनी बार फ़सलें मारी गई हैं ?

श्री नन्दा: इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि के क्षेत्रफल के आंकड़े मेरे पास हैं। ये इस प्रकार हैं:

	लाख एकड़
(१) वीर .	१
(२) खडकवसला	·७५
(३) गिरनी . .	१·१५
(४) मूला .	१
(५) कुकडी .	२·२०

श्री आल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि क्या पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के तैयार करते समय बम्बई सरकार ने इन परियोजनाओं को योजना आयोग के सामने रखा था ?

श्री नन्दा: ये परियोजनायें उस समय योजना आयोग के सामने नहीं थी।

श्री आल्तेकर : मैं जान सकता हूं कि क्या गिरनी और कुकडी परियोजनाओं के परिमापन नक़शे दो वर्ष पूर्व तैयार हो चुके थे ?

श्री नन्दा : यह तो बम्बई सरकार ने किया होगा।

श्री गाडगिल : मैं जान सकता हूं कि क्या पूना की जनसंख्या के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप खडकवसला से अब कम सिंचाई होती है और इसलिये इस परियोजना को तुरन्त आरम्भ करने की अत्याधिक आवश्यकता है ?

श्री नन्दा: यह ठीक है। इस समय जितने पानी से सिंचाई होती है उस में से कुछ पानी पूना को देने के लिये चला जायेगा। जब इस परियोजना की परीक्षा की जायेगी तो इस पहलू को भी ध्यान में रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को इतना और बता दूं कि १८ जून को बम्बई सरकार को एक पत्र भेजा गया था जिस में इन सब परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण मांगा गया था और २७ जून को तार द्वारा उन्हें पुनः स्मरण कराया गया था। हमें २८ को तार द्वारा उत्तर मिला था कि बम्बई राज्य की ओर से इन सब परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण भेजा जा रहा है। उन पर प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

श्री गाडगिल: मैं पूछ सकता हूं कि क्या बम्बई सरकार की युद्धोत्तर विकास समिति ने यह सिफ़ारिश की थी कि इन योजनाओं को अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये, किन्तु अचानक १९५० में बम्बई सरकार ने इन योजनाओं को ठुकरा दिया और अन्य योजनाओं की सिफ़ारिश कर दी ?

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न के एक पहलू को स्पष्ट करवाना चाहता हूं। क्या प्राथमिकता देने के विषय में इन योजनाओं पर केन्द्र का कोई नियंत्रण होता है ?

श्री नन्दा: श्रीमान्, केन्द्र प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में अपना प्रभाव डाल सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इन विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

श्री नन्दा : जी नहीं, श्रीमान् । राज्य अपनी अपनी योजनायें प्रस्तुत कर सकते हैं । और इन योजनाओं में से उन के तुलनात्मक गुणावगुण के आधार पर राज्यों के परामर्ष से कुछ चुन ली जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह बात पूछ हरा था कि इस का अर्थ तो कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करना होगा जो कि बम्बई राज्य के नियंत्रणाधीन हैं । इस प्रश्न पर कोई प्रश्न बम्बई की विधान सभा में अधिक अच्छी तरह पूछा जा सकता है । क्या मैं ठीक हूं ?

श्री नन्दा: पूर्णतया नहीं ।

श्री बोगावत: क्या सरकार का उन क्षेत्रों की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का विचार है जहां कि वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी उपजाऊ है । उन क्षेत्रों में कृषि विकास तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफलता का अधिक अच्छा अवसर है और कुकड़ी की योजना ऐसी ही एक परियोजना है ।

श्री नन्दा: जब यह सब सामग्री योजना आयोग के सम्मुख प्रस्तुत होगी और इन परियोजनाओं की परीक्षा की जायेगी तो इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा ।

श्री गाडगिल: मेरा प्रश्न यह था कि क्या बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त युद्धोत्तर विकास समिति ने वीर, खडकवसला और मूला की परियोजनाओं को अत्यधिक प्राथमिकता देने की सिफ़ारिश की थी, किन्तु १९५० में बम्बई सरकार ने इन्हें तो छोड़ दिया और अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सिफ़ारिश कर दी ?

श्री नन्दा: बम्बई सरकार ने किसी समय क्या किया इस से योजना आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है । योजना आयोग को निश्चय ही भावी योजनाओं के चुनाव में रुचि है । इसलिये वह बम्बई राज्य के सभी सुझावों पर विचार कर रहा है । बम्बई राज्य ने कतिपय ऐसी परियोजनाओं की सिफ़ारिश कर दी जिन्हें कि पहिले अत्यधिक प्राथमिकता नहीं मिली हुई थी और अन्य परियोजनाओं को छोड़ दिया इस से केन्द्र का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री पाटसकर: यदि गिरनी परियोजना के परिमाप नक़शे और प्राक्कलन दो वर्ष पूर्व तैयार हो चुके थे तो योजना के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नन्दा: इस का निश्चय करना, तो बम्बई सरकार का काम है ।

श्री गाडगिल: क्या योजना बनाने का यह एक सिद्धान्त नहीं है कि देश के प्रत्येक भाग के साथ प्रादेशिक रूप से न्याय किया जाना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । वह तो मंत्रणा दे रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

*१४३८. **श्री जांगड़े:** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय, दिल्ली में काम करने वाले ऐसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्गों के क्लर्कों और चपरासियों और इस वर्ग के अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, जिन को अब तक रहने के लिये निवास स्थान नहीं दिये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दिल्ली तथा नई दिल्ली में निवास स्थान श्रेणी ४ के सरकारी सेवकों को छोड़ कर अन्य सरकारी सेवकों को कतिपय वेतन वर्गों के अनुसार मिलते

हैं, उन के सेवा के वर्गों अथवा पदों के अनुसार नहीं। विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या, इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या जिन्हें वस्तुतः निवास-स्थान मिल चुके हैं और प्रतीक्षकों की सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी श्री मोहन लाल सक्सेना द्वारा ४ जून, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ के (क) से (ग) तक के भागों के मेरे उत्तर में पहिले ही दी जा चुकी है जिस में इस मंत्रालय के नियंत्रण में दिल्ली तथा नई दिल्ली में जितने भी निवास-स्थान हैं उन के अधिकारी सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं। माननीय सदस्य ने जिस रूप में जानकारी मांगी है उस रूप में तालिका बद्ध करने में जितना श्रम और समय लगेगा, विशेष रूप से तब जब कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पहिले ही सदन पटल पर रखी जा चुकी है, वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

जोरिल्ला कपास

*१४३९. **श्री जांगड़े:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बरार की जोरिल्ला कपास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किये गये अधिकतम और न्यूनतम दाम क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार को बरार के कृषकों के प्रतिनिधियों की ओर से इस निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५१-५२ की ऋतु के लिये "जोरिल्ला" का अधिकतम तथा न्यूनतम मूलभूत मूल्य क्रमशः ४९५ रुपये और ८२८ रुपये प्रति खण्डी था। सन् १९५२-५३ की ऋतु के लिये जोरिल्ला का न्यूनतम मूल्य बढ़ा कर ५५० रुपये कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

पैट्रोलियम उत्पाद

*१४४५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० और १९५१ में कितनी मात्रा में पैट्रोलियम के उत्पादों का आयात किया गया था।

(ख) हमें प्रति वर्ष खपत के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है ?

(ग) हम किन देशों से कितने पैट्रोलियम का आयात करते हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) सन् १९५० तथा १९५१ में क्रमशः ३१,०३,००० टन और ३६,४८,००० टन पैट्रोलियम उत्पादों का भारत में आयात किया गया था।

(ख) सन् १९५० तथा १९५१ में क्रमशः २९,१६,००० टन और ३५,३९,००० टन पैट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई थी।

(ग) वर्तमान स्रोत और प्रत्येक स्रोत से आयातों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

	प्रतिशत
(१) सौउदी अरब .	२८
(२) बहरीन द्वीप .	२४
(३) संयुक्त राज्य अमरीका।	१०
(४) फ्रांस . .	१०
(५) इटली . .	६
(६) ब्रिटेन . .	४
(७) जर्मनी . .	२
(८) सिंगापुर और हिंदेशिया।	११
(९) वेस्ट इंडीज .	५

आयात परमिट

*१४४८. **सेठ गोविन्द दास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में दिये गये आयात के परमिटों की कुल संख्या और उन का कुल मूल्य क्या है ;

(ख) इस वर्ष कितने कपड़े का निर्यात किया गया है और किन देशों को ;

(ग) पिछले वर्ष के निर्यात की तुलना में इस वर्ष पटसन के निर्यात की मात्रा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी–मई १९५२ की अवधि में १५७·७१ करोड़ रुपये के मूल्य की २५,९६७ अनुज्ञप्तियां जारी की गई थीं ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) इस वर्ष या गत वर्ष कच्चे पटसन का बिल्कुल निर्यात नहीं किया गया । सन् १९५१ तथा १९५२ के प्रथम पांच मासों के लिये निर्मित वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २१]**

निर्यात नीति

*१४५०. **सेठ गोविन्द दास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च १९५२ में मंदी आने के बाद निर्यात नीति में वस्त्र, बिनौले, तिलहन, तेल और गुड़ के सम्बन्ध में किये गये संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ख) क्या सरकार फरवरी से अप्रैल १९५२ तक के समय में निम्न पदार्थों के निर्यात का लगभग मूल्य भी बतायेगी :

(१) वस्त्र;

(२) कपास ;

(३) तिलहन ; और

(४) गुड़ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं यह माने लेता हूं कि माननीय सदस्य निर्यातों के हाल में उदार किये जाने की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कि मंदी के कारण नहीं किया गया था अपितु निर्यात को प्रोत्साहित करने के सामान्य विचार से तथा आन्तरिक उपलब्धताओं को ध्यान में रख कर ही किया गया था । इस उदारीकरण के परिणामस्वरूप सूती वस्त्रों, तिलहन और तेलों तथा गुड़ का निर्यात बढ़ गया है । बिनौलों की निर्यात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस का निर्यात पूर्ववत् प्रतिषिद्ध है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २२]**.

पोत

*१४५१. **सेठ गोविन्द दास: क्या उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ में भारतीय पोत निर्माण के कारखानों में तैयार किये गये पोतों की और पोत निर्माण उद्योग में भरती किये गये लोगों की संख्या क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : माननीय सदस्य संभवतः समुद्र में चलने वाले पोतों की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि हां, तो भारत में इस प्रकार के पोतों का निर्माण करने वाले एकमात्र कारखाने विशाखापत्तनम् के हिन्दुस्तान पोत निर्माण घाट में सन् १९५१-५२ में तीन पोत बनाये गये हैं । इस कारखाने में ३,७०० कर्मचारी काम करते हैं ।

मिस्र और पाकिस्तान से रूई का आयात

*१४५२. **श्री गणपति राम:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मिस्र और पाकिस्तान से सन् १९५१-५२ तथा जनवरी १९५२ से अप्रैल १९५२ तक कितनी रूई की गांठों का आयात किया गया ; तथा

(ख) किस भाव पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २३]**

गारो पहाड़ियों से निर्यात की गई रूई

*१४५३. **जनाब अमजद अली:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) सन् १९४९—५१ में आसाम की गारों पहाड़ीयों से छोटे रेशे की कितनी रूई का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सन् १९५१-५२ में गारों पहाड़ियों की छोटे रेशे की रूई के भाव गिर गये थे; तथा

(ग) इस का कम से कम भाव क्या हुआ था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ख) जी हां।

(ग) मार्च १९५२ में पचपन रुपय (५५ रू) प्रति मान ।

आसाम राइफ़िल्स

*१४५४. **जनाब अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम राइफ़िल्स पर किये जाने वाले सैनिक व्यय का कितना भाग आसाम की राज्य सरकार उठाती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ नहीं।

नमक

*१४५५. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नमक पर अब भी किसी प्रकार का नियंत्रण है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : नमक का उत्पादन केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, १९४४ के अन्तर्गत नियंत्रित होता है। १० एकड़ से अधिक के प्रत्येक क्षेत्र में नमक बनाने के लिय नमक आयुक्त अनुज्ञप्तियां देता है। किन्तु १० एकड़ से कम के प्रत्येक क्षेत्र में नमक बनाने के लिये किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है।

वितरण के समबन्ध में प्राथमिकता के आधार पर महाखण्डों में वितरण की योजना के अनुसार नमक को लाने लेजाने के लिये माल के डिब्बों के आवंटन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है। सामान्यतया नमक के लाने ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है।

आयातकों को अपने आयातों का १० से १५ प्रतिशत तक कलकत्ता में वहां के सरकारी गोलों में जमा रखना पड़ता है।

कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्र में नमक के वितरण तथा मूल्य पर नियंत्रण रखते हैं !

दिल्ली में मकानों का अधिग्रहण

*१४५६. **श्री राघव रमण** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में कितने मकानों का अधिग्रहण किया है जो कि अब भी सरकार के अधिकार में हैं ;

(ख) इन में से कितने मकान विदेशी दूतावासों, सरकारी अधिकारियों तथा सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को दिये हैं इन की संख्याएं अलग अलग बतलाई जायें ।

(ग) सरकार प्रति वर्ष इन का कितना भाड़ा देती है ; तथा

(घ) सरकार इन के किरायदारों से प्रतिवर्ष कितना भाड़ा लेती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) २३७ ।

(ख) संख्याएं इस प्रकार हैं:—

(१) विदेशी दूतावास	३६
(२) सरकारी अधिकारी तथा कार्यालय	१७७
(३) गैर सरकारी अधिकारी:—	
(१) पूरे मकान	१५
(२) मकानों के कुछ भाग	४

(ग) ६,५६,३६७-१२-०

(घ) किराये से कोई निश्चित राशि प्राप्त नहीं होती है किन्तु यह समय समय पर बदलती रहती है क्योंकि सरकारी नौकरों से तो केवल उन के वेतन का १० प्रति शत ही किराये के रूप में लिया जाता है । कुल वसूली लगभग ६,३३,००० रूपये की होती है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम

*१४५७. **श्री एम० एल० अग्रवाल:** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम, १९५० (१९५० की संख्या ३१) का प्रशासन के नियम २२ (२) के अन्तर्गत कोई एसे दावे पंजीबद्ध किये हैं जिन में कि अभिरक्षक ने नियम २२ (३) के अन्तर्गत भुगतान करने से इन्कार करने के कारण अभिलिखित किये हों ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उन की संख्या तथा राशि कितनी है;

(ग) उपरोक्त रीति से पंजीबद्ध किये गये दावों के मामले में जिन में कि अभिरक्षक ने इस से इन्कार करने के कोई कारण नहीं लिखे हैं नियम २२ (३) के अन्तर्गत जो भुगतान करने का विचार किया गया था वह अभी तक किया क्यों नहीं गया है ; तथा

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट ऋणदाताओं को भुगतान करने की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (घ) । नियम २२ के उपनियम (२) और (३) अन्य पक्षीय दावों के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में हैं और इन में भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई है और न ही अभिरक्षक पर भुगतान से इन्कार करने के कारण बताने के लिये बिल्कुल कोई दायित्व ही डाला गया है । सत्य तो यह है कि यदि नियम २२ को संपूर्ण रूप से देखा जाये तो अन्य पक्षीय दावों के भुगतान की अवस्था उस में विचार ही नहीं किया गया है । यदि इस विषय में कोई शंकायें हों तो उनका निवारण उपनियम (४) से हो जाना चाहिये जिस में कि निष्क्रांतों द्वारा अभिरक्षक के अधिकार में उन की संपत्ति आने से पूर्व लाये गये ऋणों का अभिरक्षक को केन्द्रीय सरकार या महाअभिरक्षक की मंजूरी के बिना भुगतान करने से निषेध कर दिया गया है । जनवरी १९४९ के करार में यह व्यवस्था की गई थी कि निष्क्रांत स्वामी को अपनी संपत्ति के विक्रय अथवा विनिमय की अनुमति

देने से पूर्व अन्य पक्षीय दावों के संतोष जनक रूप से निबटाने की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार उस क़रार के अन्तर्गत जो विक्रय और विनिमय हुए उन के संबंध में तो अन्य पक्षीय दावों को निबटा हुआ, समझा जा सकता है। किंतु जनवरी १९४९ के क़रार के असफ़ल होने के पश्चात् भारत सरकार का यह विचार हो गया है कि निष्क्रांत व्यक्तियों की संपत्ति की समस्या को सरकारी स्तर पर निबटाया जाय। भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यदि पाकिस्तान सरकार निष्क्रांत व्यक्तियों की संपत्ति के प्रश्न को सरकारी आधार पर या अन्यथा तय करना स्वीकार करले तो अन्य पक्षीय दावों को निबटाने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। जहां तक अन्य पक्षीय दावों का जो कि अचल संपत्ति के संबंध में किये गये हैं, प्रश्न है निष्क्रमणार्थी हित पृथक्करण अधिनियम, १९५१ में पहिले ही उन्हें निबटाने के एक उपाय की व्यवस्था कर दी गई है।

पोत निर्माण

*१४५८. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करें :

(क) संसार के कौन से देश पोत निर्माण में दक्ष हैं ;

(ख) भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में इन में से किन से नौ-सेना के लिये अथवा व्यापारिक नौपरिवहन के लिये पोत क्रय किये ;

(ग) प्रत्येक क्रय किये गये पोत का मूल्य क्या था ;

(घ) इस अवधि में विशाखापत्तनम् के पोत कारखाने में कितने पोत बनाये गये; तथा

(ङ) पोत निर्माण में दक्षता प्राप्त करने के लिये यदि कोई छात्र अथवा इंजीनियर विदेशों को भेजे गये तो उन के नाम क्या हैं?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) अन्य देशों में, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, फ़्रांस, इटली और जापान हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २५**]

(घ) मैं माननीय सदस्य का ध्यान अपने उस उत्तर की ओर दिलाऊंगा जो मैंने २६ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९१ के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिया था।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २६**]

कानपुर में कोयले की कमी

*१४५९. **श्री एम० एल०. द्विवेदी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोयला खानों से कानपुर कोयला पहुंचाने के लिये प्रति मास प्रायः कितने माल के डब्बे दिये जाते हैं ;

(ख) कानपुर नगर को औद्योगिक तथा निजी दोनों प्रयोजनों के लिये प्रति तिमाही के लिये कितना कोयला दिया जाता है;

(ग) क्या दिया हुआ अभ्यंश नियमित रूप से कानपुर पहुंच जाता है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) डब्बों का आवंटन उद्योग वार किया जाता है उद्दिष्ट स्थानों के अनुसार नहीं। अतः पूछी हुई जानकारी देना संभव नहीं है।

(ख) प्रत्येक तिमाही के लिये मंजूर कुल परिमाण लगभग ९६,९१६ टन है।

(ग) तथा (घ) । माल के डब्बों का प्रदाय अपर्याप्त होने के कारण साधारणतया

पूरा आवंटित अभ्यंश नहीं पहुंच पाता है; किन्तु सम्बन्धित उद्योग को जितनी अधिक प्राथमिकता दी जाती है उतने ही अधिक अनुपात से दिये हुए अभ्यंश का भाग वस्तुतः वहां पहुंचता है।

नेपाल से व्यापार

*१४६०. **श्री बी० एन० राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत से नेपाल को निर्यात की गई वस्तुओं की तथा नेपाल से भारत में आयात की गई वस्तुओं की लागत बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : नेपाल के साथ हुए व्यापार के आंकड़े केवल परिमाण के सम्बन्ध में रखे जाते हैं इसलिये भारत तथा नेपाल के मध्य जिन वस्तुओं के आयात निर्यात का व्यापार हुआ उन का मूल्य बतलाना संभव नहीं है।

सामुदायिक परियोजनायें

*१४६१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतला ने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार का सामुदायिक विकास परियोजनाओं की प्रथम अवस्था (प्रारूपण) का कब उदघाटन करने का विचार है; तथा

(ख) क्या परियोजनाओं के सभी केन्द्रों पर एक साथ ही काम आरम्भ कर दिया जायेगा ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : चुने हुए क्षेत्रों का प्रारम्भिक परिमापन किया जा रहा है और आशा है कि इस मास के मध्य तक पूरा हो जायेगा।

आगामी अक्तूबर में रबी की फसल के अवसर पर परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ होने की आशा है।

(ख) इस वर्ष बहत्तर विकास खण्डों पर कार्य आरंभ किया जायेगा। शेष विकास खण्डों को अगले वर्ष लिया जायेगा।

सर विश्वेश्वरय्या की योजना को अर्थ साहाय्य

*१४६२. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर में जो सर एम० विश्वेश्वरय्या की ग्राम औद्योगीकरण योजना चलाई जा रही है उसे अर्थसाहाय्य के रूप में कितनी राशि दी जाती है; तथा

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के विस्तार में सहायता करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) इस योजना को चलाने के लिये सन् १९५०-५१ में मैसूर सरकार को २,५०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

चुनावों में लेखन सामग्री का प्रयोग

*१४६३. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सत्य है कि गत सामान्य चुनावों में आवश्यक लेखन सामग्री का मोटे रूप में लगभग ३० प्रतिशत भाग सरकारी लेखन सामग्री कार्यालय में से दिया गया था और शेष अन्य श्रोतों से खरीदा गया था;

(ख) क्या इस से सरकारी कोष को कई लाख रुपये की हानि हुई थी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमान्। गत सामान्य चुनावों के सम्बन्ध में भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय

से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, भाग ग राज्यों, चुनाव आयुक्त और डाक तथा तार विभाग ने ६,२७,२४१ रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री देने की मांग की थी। इस मांग में से ५,३५,०७९ रुपये के मूल्य की अथवा ८५ प्रति शत लेखन सामग्री वस्तुतः दे भी दी गई थी।

(ख) अन्य स्नोतों से खरीदी गई लेखन सामग्री के सम्बन्ध में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि इन्डेन्ट (व्यादेश) देने वालों ने स्थानीय रूप से जो चीजें खरीदीं उस से सरकारी कोष को कोई हानि हुई है।

मालमपुज्हा परियोजना

*१४६४. **श्री एन० पी० दामोदरन:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार नें मद्रास राज्य के मालावार जिले में मालमपुज्हा परियोजना को पूरा करने के लिये कितनी राशि मंजूर की है ;

(ख) मंजूर राशि में से कितनी पहिले ही राज्य सरकार को दी जा चुकी है; तथा

(ग) इस समय काम कहां तक पहुंच चुका है ?

योजना, सिंहचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) भारत सरकार ने मालमपुज्हा परियोजना के लिये मद्रास सरकार को सन् १९५२-५३ में होने वाले कुल व्यय की अधिक से अधिक एक करोड़ रुपये तक की राशि ऋण के रूप में सहायतार्थ देने का निश्चय किया है।

(ख) यह राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में परियोजना पर सन् १९५२-५३ में होनेवाले संभावित व्यय के उस समय उपलब्ध नवीनतम प्राक्कलनों के आधार पर दी जायेगी।

(ग) ईंटों के बांध पर तेजी से काम हो रहा है और अब मिट्टी के बांध का निर्माण आरंभ किया गया है। बांध तथा नहर का लगभग ४१ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। नहर की खुदाई १३वें मील तक लगभग बिल्कुल पूरी हो चुकी है। आरपार चिनाई पुछ, पानी निकालने के फाटक आदि बनाने का काम हो रहा है और इन में से कुछ तो पूरे भी हो चुके हैं। कन्नडी और कोरयार नदियों पर बड़े बड़े जलमार्ग बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है और उन के मेहराव बनाये जा रहे हैं। रजबहों की खुदाई का काम भी आरंभ कर दिया गया है और काफी आगे बढ़ चुका है।

रंग और रंगने के मसाले

३३९. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में सन् १९५१-५२ में आयात किये गये विभिन्न प्रकार के रंगों तथा रंग के मसालों का परिमाण और जिन देशों से आयात किये गये उन के नाम दिये हुए हों ?

(ख) क्या भारत में भी कोई कारखाने रंग बनाते हैं और यदि हां, तो उन के नाम तथा स्थान और सन् १९५१-५२ में उन में कितना मसाला तैयार किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान २६ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२१५ के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २७**]

चाय

३४०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में राज्यवार सन् १९५१-५२ में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उसी अवधि में कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया; तथा

(ग) कुल कितना निर्यात शुल्क प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि सन् १९५१ में भारत में चाय का कुल उत्पादन ६२२७·३ लाख पौंड का हुआ जिस में से उत्तरी भारत में ५१७८·०० लाख पौंड का तथा दक्षिणी भारत में ११४९·३६ लाख पौंड का उत्पादन हुआ। राज्यवार अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तथा (ग)। सन् १९५१-५२ में भारत से ४२५५·४ लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया था। २ रूपये प्रति १०० पौंड की दर से ८५ लाख रुपये शुल्क के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है।

सत्यमेव जयते

Thursday, 3 July 1952

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

गुरु गोसांई आगम दासजी की मृत्यु

अध्यक्ष महोदय : इस के पूर्व कि अग्रेतर कार्यवाही की जाये मुझे सदन को सूचित करना है कि गुरु गोसाईं आगम दासजी की मृत्यु २८ जून, १९५२ को रायपुर में उनके गांव में हो गई। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। मध्य प्रदेश में बिलासपुर —दुर्ग — रायपुर— रक्षित — अनुसूचित जातियां निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उन का निर्वाचन हुआ था।

उनके कुटुम्ब को समवेदना संदेश भेजने में सदन मेरा साथ देगा। सदन के सदस्य अपनी सहानुभूति प्रगट करने के लिये एक मिनट को खड़े हो सकते हैं।

सदन से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा भेजा गया यह पत्र प्राप्त हुआ है :

> " मेरी प्रार्थना है कि मुझे संसद से कुछ समय के लिये (लगभग एक मास) अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये क्यों कि मैं शान्ति कांग्रेस कार्यालय की बैठक में भाग लेने के लिये बर्लिन जाऊंगी। मैं २८ जून, १९५२ को प्रस्थान करूंगी तथा यदि आप मुझे अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दें तो मैं आप की आभारी रहूंगी।"

क्या सदन की इच्छा है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ?

अनुपस्थिति की अनुमति दी गई।

भ्रष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : मेरा प्रस्ताव है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

दण्ड विधान संशोधन विधेयक

डा० काटजू : मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रणाली संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने तथा कुछ अपराधों के सम्बन्ध में अधिक शीघ्रता से न्याय निर्णय करने के हेतु एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रणाली संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने तथा कुछ अपराधों के सम्बन्ध में अधिक शीघ्रता से न्याय निर्णय करने के हेतु एक विधेयक को पुर :स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मै विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें —समाप्त

अध्यक्ष महोदय : सदन अब वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली अनुदान की मांगों तथा उनके सम्बन्ध में कल प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों पर विचार करेगा । मेरे विचार में योजना के अतिरिक्त अन्य बातों पर चर्चा जारी रहेगी ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान, हम में से कुछ ने आप से विनियोग विधेयक पर बोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की थी ।

अध्यक्ष महोदय : जब वास्तव में विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत होगा तो मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा । फिर भी, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण उन बातों को ध्यान से पढ़ें जो मैंने १९५० में विनियोग विधेयक के प्रथम बार प्रस्तुत किये जाने पर कहीं थीं । मैं चाहता हूं कि विरोधी दलों अथवा वर्गों के सदस्य उन विशेष बातों को मुझे पहले ही से सूचना दे दें जिनके सम्बन्ध में वे विनियोग विधेयक के समय चर्चा करना चाहते हैं जिस से मैं यह देख सकूं कि जिन बातों पर चर्चा उठाई जाने वाली है वे बिल्कुल ही नई तथा महत्वपूर्ण हैं अथवा नहीं अथवा पिछले १८ या २० दिनों में जो चर्चा हुई है उस में वे बातें आ जाती हैं अथवा नहीं । कहने का तात्पर्य यह कि अनुदान की मांगों पर पुन: चर्चा न होने लगे । हां यदि कोई नई बात उठती है तो मैं अवश्य देखूंगा कि उस पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं और यदि की भी जा सकती है तो कितना समय दिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या हम उन बातों पर पुन: जोर नहीं डाल सकते हैं जिन्हें हम पहले ही कह चुके हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक में बड़ा अन्तर है । वित्त विधेयक के अन्तर्गत सरकार कर लगाती है और हर एक सदस्य का यह अधिकार है कि वह लगाये जाने वाले कर की पूरी तरह से छान बीन करके देखे । किन्तु विनियोग विधेयक तो इस से बिल्कुल ही भिन्न है । विनियोग विधेयक तो केवल एक ऐसी वैध व्यवस्था कायम कर देता है जिस से किसी विशेष कार्य के लिये मंजूर की गई राशि सरकार और किसी कार्य के लिये प्रयोग न कर सके ।

अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण चीज को एक ही कानून की शक्ल दे दी जाये जिससे वह अपनी मर्जी के अनुसार संचित निधि में से राशि न निकाल सकें । अतः केवल उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने की अनुमति दी जा सकती है जो नई हैं या विशेष महत्व रखती हैं । लेकिन इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है । संसदीय प्रथा के अनुसार ऐसी बातें केवल विरोधी दल के सदस्य ही उठा सकते हैं । अत : जो माननीय सदस्य विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं वे अपनी अपनी बातें लिख कर मुझे देदें जिन से मैं उन पर विचार कर सकूं । अब हम आज की कार्यवाही पर आते हैं ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : सामान्य बजट पर बहस के अन्तिम दिन माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हम विनियोजन के बिना प्रगति नहीं कर सकते हैं किन्तु यदि हम मुद्रास्फीति रहने पर ऐसा करते हैं तो परिणाम उल्टा हो सकता है । किन्तु यह तो कुछ अजीब सी बात है । माननीय वित्त मंत्री के शब्दों में ही विनियोजन का अर्थ होता है चालू मुद्रा में से धन निकाल कर लगाना । वास्तव में, यह विनियोजन करना है । मेरे विचार में यह तो मानी हुई बात है कि सरकारें अपने बजटों की ठीक से व्यवस्था करके मुद्रास्फीति या मन्दी को दूर कर सकती हैं । किन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि भारत में पिछले पांच सालों से इसके बिल्कुल विपरीत कार्यवाही की गई है । माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मुद्रास्कीति को काबू में कर लिया गया है । किन्तु थोड़े ही दिनों पश्चात् उन्होंने फिर कहा कि उन्हें यह पूर्णरुप से विश्वास नहीं है कि मुद्रास्फीति को काबू में कर लिया गया है अथवा नहीं, इसलिये वह विनियोजन का कार्य आरम्भ नहीं करेंगे । देखा जाये तो इस प्रकार हम कभी मुद्रास्फीति चिल्लाते हैं तो कभी उस पर काबू पा जाने का दावा करते हैं । यही कारण कि पिछले पांच वर्षों से देश आर्थिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर पाया है । मेरे विचार में मुद्रास्फीति के समय में ही सरकार को विनियोजन कार्य प्रारम्भ करना चाहिये था । इस प्रकार लोगों के पास जो अतिरिक्त धन था वह खिच आता और मुद्रास्फीति में भी कमी होती । किन्तु अब तक इसके बिल्कुल विपरीत होता आया है । इन पांच वर्षों में हमारे पास जो नगदी थी, भारत में और भारत के बाहर, सभी को पानी की तरह बहाया जा चुका है । अतः यह स्पष्ट है कि अभी हम संकट से मुक्त नहीं हो सके हैं ।

[श्री **पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

किन्तु यदि आप विनियोजन का कार्य-क्रम आरम्भ करना चाहते हैं तो आप के पास धन कहां है । आप कह सकते हैं कि हम विश्व बैंक से धन ले लेंगे । किन्तु यह ज्ञात होना चाहिये कि किसी भी देश की आर्थिक हालत का लाभ उठा कर ही विदेशी उस पर अपना कब्जा जमा देते हैं । हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है । उधार लेकर विनियोजन करना कहां की नीति है । आप अपनी स्थिति का लोगों को ज्ञान क्यों नहीं कराते, उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लेते ?

शायद बहुत से सदस्यों को यह ज्ञात न हो कि प्रति वर्ष हम ऋण के लिये ६९ करोड़ रुपये केवल व्याज के रूप में दे रहे हैं । जनता ज्ञात करना चाहती है कि आखिर यह ६९ करोड़ रुपये प्रति वर्ष किसे दिये जाते हैं ? क्या यह ऋण चुकाए नहीं जा सकते हैं ? आपका कहना है कि हमारे पास इतना धन नहीं है किन्तु यह बात आप जनता के सामने क्यों नहीं रखते । उन्हें विश्वास में लीजिये । इस सारे बजट को

[पंडित एस० सी० मिश्र]

इस रूप में रखिये जिससे जन साधारण उसे समझ सके ।

क्या आप ने यह बतलाने की कोशिश की है कि गत दो वर्षों में आप ने खाद्य समाहार पर ५५ करोड़ रूपये खो दिये तथा इस वर्ष भी आप इंगलैंड से या इंगलैंड के द्वारा १५१ करोड़ रूपये का खाद्यान्न खरीद रहे हैं ? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारत एक गरीब देश है । जब आप एक करोड़ से अधिक राशि को व्यय करने का विचार करें तो उसके पूरे विवरण सदन के समक्ष रखें जिस से जनता उन में दिलचस्पी ले सके और इस प्रकार आपकी सहायता कर सके । आप ७० या १०० करोड़ की रक़म तो साफ कर जाते ह और बातें करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं । फिर आप ही बताइये लोग इस सम्बन्ध में उदासीन न रहें तो क्या करें । वे समझ ही नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं ।

२९ फरवरी को प्रस्तुत किये गये बजट में मद ११४, वित्त विभाग के लिये ४,००० रुपये की व्यवस्था दिखलाई गई थी । किन्तु दो ही महीनों में यह राशि बढ़ कर १०,००,०३,००० रुपये हो गई है । मैं मानता हूं कोई आपाती बात हो गई होगी । किन्तु वित्त मंत्री को तो सदन को विश्वास में लेना चाहिये था । वे बतलाते कि इस कारण से ऐसा करना पड़ा । किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, किस मद का निर्देश कर रहे हैं ?

पडित एस० सी० मिश्र : मांग के मद ११४ का । पहले आपने वित्त मंत्रालय के पूंजीगत व्यय के लिये ४००० रूपये दिखलाये थे किन्तु अब उसे बढ़ा कर १० करोड़ ३ हजार बताया गया है । माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि अमेरिकन गेहूं की बिक्री से जो राशि प्राप्त होगी उसे एक विशेष सुधार निधि में रखा जायेगा । अब शायद वही राशि इस प्रकार प्रयोग में लाई जा रहीं है । दोनों बातें नहीं हो सकतीं । एक ओर तो आप कहते हैं कि आप उन्हें जमा कर रहे हैं । और दूसरी ओर इस प्रकार खर्च कर रहे हैं ।

अब मैं सरकार की वित्तीय नीति को लेता हूं । यदि आप तटकर की दरें देखें तो आप देखेंगे कि खाद्य सम्बन्धी वस्तुओं पर मूल्य के अनुसार ३७॥ प्रतिशत तक शुल्क लिया जाता है किन्तु जब शराब की बारी आती है तो यही घट कर मूल्य का १०॥ प्रतिशत लिया जाता है । सिनेमा की मशीनों पर १०॥ प्रतिशत तटकर लगता है जब कि सिलाई की मशीनों पर ३७॥ प्रतिशत लिया जाता है । यह मामूली बातें हैं किन्तु इससे पता लगता है कि हवा किस ओर बह रही है — आप किसको संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं । चाहे आप ग़रीबों को साथ दे रहे हों या अमीरों का किन्तु यह सत्य है कि जनता का इस सम्बन्ध में कोई उत्साह नहीं है और आप इस के लिये जनता को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं माननीय सदस्य से ज्ञात करना चाहूंगा कि खाद्य समाहार के सम्बन्ध में ६९ तथा ५५ करोड़ रुपये की हानि उठाने के आंकड़े उन्हें कहां से प्राप्त हुए । यदि वे अभी बताना न चाहें तो मद या पृष्ट की संख्या लिख कर मुझे बाद में सूचित कर सकते हैं ।

पंडित एस० सी० मिश्र : ६९ करोड़ रुपये अनुदान की मांगों के खण्ड १ में मिल सकते हैं, मांग संख्या ४१ के नीचे ही तथा

५५ करोड़ रुपये की राशि ठीक उसके पहले है .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय को नोट लिख कर भेज सकते हैं।

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी) : मैं— अपने आप को टैकनिकल सहयोग तथा सामूहिक परियोजनाओं; पौंड पावना दे कर विदेशी सम्पत्ति को कब्जे में करने, विदेशी ऋण तथा अप्रत्यक्ष करारोपण को घटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों तक ही अपने आप को सीमित रखूंगा।

टैकनिकल सहयोग तथा सामूहिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की आलोचनायें की गई हैं विशेषकर विरोधी पक्ष द्वारा। मेरे विचार में इस समझौते में केवल एक ही वाक्य ऐसा है जिसके विरुद्ध कुछ कहा जा सकता है। अनुच्छेद ३ में लिखा है, "विशेषज्ञों के दल के संचालक तथा सदस्यों का चुनाव तथा नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार करेगी किन्तु वे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत सरकार स्वीकार करेगी।" इस का यह अर्थ नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार जिस किसी को भी नामनिर्देशित कर देगी उसे भारत सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका तो केवल यह अभिप्राय है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे जिन्हें स्वीकार किया जा सके और जब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है तब तक नियुक्ति कैसे हो सकती है।

जहां तक सामूहिक परियोजनाओं का सम्बन्ध है मेरे सामने बैठे मेरे कुछ मित्रों को भय है कि इन परियोजनाओं की आड़ में बहुत से अमरीकी इस देश में घुस आयेंगे तथा वे हम से ऐसी बातें करवायेंगे जिन्हें हम न करना चाहेंगे। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि इस प्रकार की कोई बात हो तो हमें उसका विरोध करना चाहिये। मेरे विचार में इन परियोजनाओं में अधिक अमरीकी काम नहीं कर रहे हैं। और यदि कोई ऐसी बात होती भी है तो सरकार उसको अच्छी तरह जान जायेगी तथा ऐसा प्रबन्ध करेगी कि यह परियोजनायें हमारे ही हाथों में रहेंगी।

मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां की भूमि तो उपजाऊ है किन्तु पानी की कमी के कारण उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। मुझे मालूम हुआ कि अमेरिकनों ने 'सूखी खेती' नामक एक प्रेणाली चलाई है जिसके फल-स्वरूप उन क्षेत्रों में भी अधिक पैदावार होती है जहां पानी की कमी है। मेरा निवेदन है कि हमें भी यह प्रणाली अमेरिका से सीखनी चाहिये तथा ऐसे क्षेत्रों में सामूहिक परियोजनायें कार्यान्वित करनी चाहियें।

जहां तक २,००० नल-कूपों को लगाने का सम्बन्ध है यह आशंका प्रकट की गई है कि नल-कूपों के वे भाग भी जो भारत में तैयार होते हैं अब इस समझौते के कारण भारत में आयात किये जायेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर विशेषरूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें कोई भी ऐसी वस्तु बाहर से आयात नहीं करनी चाहिये जिसे हम अपने देश में बना कर तैयार कर सकते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि हमें पौण्ड पावना दे कर भारत में जो विदेशियों की सम्पत्ति है उसे खरीद लेना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि देश में ब्रिटिश कारखाने बैंक इत्यादि न रहें। किन्तु यदि आप अपने देश को उठाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप की आर्थिक स्थिति सुधर जाये तो आप को उन्हें रखना

[श्री बंसल]

ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप अपने पौण्ड पावने से उनकी सम्पत्ति ख़रीद भी लेते है तो भी आप अपनी पूंजी को ऐसे उद्योगों में फंसा देंगे जो कि वर्तमान हैं। किन्तु हमें तो अपनी पूंजी को उद्योगों के विकास में लगाना है, नये उद्योग खोलने में लगाना है जिनकी हमें परम आवश्यकता है। दूसरी बात यह भी है कि हमारे देश में जितने भी विदेशी कारखाने इत्यादि हैं उन सब की मशीनें बहुत पुरानी हैं। उन्होंने उनको कम दामों में ख़रीदा था किन्तु बाज़ार भाव चढ़ जाने के कारण अब उन के भी दाम चढ़ गये हैं। इस प्रकार चढ़े हुए भावों में विदेशी सम्पत्ति खरीदना कहां की बुद्धिमानी होगी। हमें अपनी पूंजी का बहुत सोच विचार कर उपयोग करना चाहिये।

अब मैं विदेशों द्वारा दी जाने वाली सहायता को लेता हूं। मेरे सामने बैठे मित्रों को यह बात रह रह कर चुभती है कि हम विदेशी सहायता क्यों लेते हैं चाहे वह किसी प्रकार की क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र यदि रूस को ही अपना आदर्श समझते हैं तो भी वहां पर पंचवर्षीय योजनायें होती हैं। पहले पहल रूस ने भी लगभग ४,००० टैकनिकल व्यक्तियों को सहायता के लिये बाहर से बुलाया था। उसने भी विदेशी सहायता के लिये हाथ बढ़ाया था तब फिर हमारे ऐसा करने में क्या हानि है। मैं तो उन में से एक हूं जो यह सोचते हैं कि बिना विदेशी सहायता के हम उतनी शीघ्रता से प्रगति नहीं कर सकते हैं जितनी शीघ्रता से हम करना चाहते हैं।

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै) : मैं आरम्भ में ही यह कह देना चाहता हूं कि यह बजट ऐसा है जिसे जनता कभी भी पसन्द नहीं कर सकती है। मैं देख रहा हूं कि गत् चार या पांच वर्षों से उद्योगपतियों को हर प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं उन पर कर घटाये जा रहे हैं, छूट दी जा रही है। किन्तु ग़रीब आदमी को पीसा जा रहा है। दियासलाई, तम्बाकू जैसी चीज़ों पर कर लगा कर उनका जीवित रहना तक कठिन कर दिया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक बात की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं और वह है तम्बाकू पर कर। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर अधिकतर लोग अपनी जीविका इसी से पालते हैं। यही वहां का कारबार है। पहले तम्बाकू पर १ आना पौंड कर लगा था। धीरे धीरे उसे बढ़ा कर ८ आना कर दिया गया है। इससे तम्बाकू के व्यापारियों को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। जब अन्य वस्तुओं के दाम गिर जाने से खुले बाज़ार में तम्बाकू १० रुपये प्रति मन प्राप्त हो सकता है तब बेचारे लाइसैन्सदार व्यापारियों को वही ११ रुपये ६ आने प्रति मन बेचना पड़ता है। अतः तम्बाकू कर हटा कर ३ आने प्रति पौंड हो जाना चाहिये।

दूसरे, गोदामों को भेजने में तम्बाक में ५ से १० प्रति शत तक की कमी हो जाती है क्योंकि वह वहां पर सूख जाता है किन्तु सरकार केवल ३ प्रतिशत की छूट देती है। मेरे विचार में यह छूट ५ प्रतिशत कर देनी चाहिये। साथ ही इस की सुनवाई के लिये सरकार को अधिकरण नियुक्त करने चाहियें जिससे व्यापारियों की अपीलें सुनी जा सकें।

सरकार की वर्तमान नीति को देखते हुए मुझे कहना पड़ता है कि लोग अधिक दिनों तक उसका शासन सहन न कर सकेंगे। जब लोगों को खाना कपड़ा ही नसीब नहीं

होता तो वह आप की इस खर्चीली सरकार को ले कर क्या करेंगे । यहां तक कि तामिल नाड वाले तो आप से अलग हो कर रहना चाहते हैं वे आप के इस शासन से असन्तुष्ट हैं ।

यद्यपि इस देश की अधिकतर जनता खेती बाड़ी पर निर्भर रहती है फिर भी इस सरकार ने उद्योगपतियों की सहायता करके उन्हीं को ऊपर उठाया है । बात तो यह है कि आप इस देश को एक पूंजीपति देश बना कर पश्चिमी गुट का साथ देना चाहते हैं । हम ने राष्ट्रमण्डल में न रहने का ठीक ही निश्चय किया है । हमारे पास पौंड पावना है किन्तु उसका क्या लाभ जब हम उसका राष्ट्रीय कार्यों के लिय प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं । सरकार उद्योगपतियों का साथ देती है किन्तु वे तो आस्तीन के सांप हैं और उसी की जड़ काटने पर तुले रहते हैं । वे सरकार की परवाह कब करते हैं । देश का उत्पादन पिछले १२ वर्षों में केवल प्रति वर्ष १ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा है । इससे भला देश का क्या लाभ हो सकता है ।

वित्त मंत्री का कहना है कि वे आयकर ठीक से वसूल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अनुभवी अधिकारियों की कमी है । जब आप के पास इतने अधिकारी हैं और आप उन पर करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं तो क्या आप इस काम के लिय अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकते । वास्तव में, बात यह है कि आप पूंजीपतियों से ठीक ठीक कर वसूल करना ही नहीं चाहते । यदि ऐसी ही जरूरत है तो हम वेतन न लेकर यह कार्य करने के लिये तैयार हैं ।

मेरे विचार से प्रबन्ध एजेन्सी प्रणाली हटा देनी चाहिये क्योंकि इस से लगभग ७० प्रति शत लाभ ऐसे एजेन्टों को होता है तथा केवल ३० प्रतिशत अंशधारियों के भाग में आता है । मैं विनियंत्रण के पक्ष में हूं किन्तु इस समय यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि आप उन बातों पर परदा डालना चाहते हैं जो आपकी 'अधिक अन्न उपजाओ' नीति के असफल रहने से उठ खड़ी हुई है ।

श्री मुहीउद्दीद (हैदराबाद नगर): मुझ से पूर्व वक्ता ने अन्य दलीलों के साथ यह भी एक दलील रक्खी है कि वस्तुओं के दामों में कमी हुई है किन्तु तम्बाकू पर कर कम नहीं किया गया है अतः यह बजट स्वीकार करने योग्य नहीं है । मेरा कहना है कि किसी बात पर इस प्रकार निश्चय कर लेना कहां की बुद्धिमानी है ।

सदन में अनेक बार कहा गया है कि उत्पादन की योजनाओं में रुपया नहीं लगाया गया है । साथ ही भारत में उद्योगों को ठीक से बांटा नहीं गया है । पंचवर्षीय योजना में यह नहीं बताया गया है कि पांच वर्ष के अन्त में हमारी आय कितनी बढ़ जायेगी तथा बेकारी कितनी सीमा तक कम हो जायेगी । युद्ध काल में लोग इसलिये अपना रुपया काम धन्धों में लगाते थे क्योंकि लाभ होने की अधिक आशा रहती थी किन्तु अब तो वह बात रही नहीं । अतः ग़ैर-सरकारी मदों में भी रुपया बहुत लगाया गया है । हो सकता है यह सब कुछ इसलिये हो कि लोग अभी यह पूर्णरूप से निश्चित न कर सके हों कि पूंजी बाजार कैसा है तथा उन्हें कहां और कितना रुपया लगाना चाहिये ।

लोग अब निरक्षरता, बीमारी, गरीबी तथा भूख को मार भगाने के लिये व्याकुल हो रहे हैं । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह जनता के इस उत्साह को उचित मार्ग पर लाकर उसका ठीक से उपयोग करे । कहीं ऐसा न हो कि यह उत्साह

[श्री मुहीउद्दीन]

एसी बातों के करने में लगाया जाय जो कि न होनी चाहिये।

कुछ समय पूर्व सरकार ने छोटी बचत योजना चलाई थी। किन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ लोगों का कहना है कि जब रुपया बचता ही नहीं तो लगायां कहां से जाये। यह कुछ सीमा तक ठीक भी है। किन्तु भारत में अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं अतः यदि हम किसानों में ऐसी बचत के प्रति रुचि पदा कर दें तो हमें अवश्य कुछ रुपया देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिये मिल सकता है।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनसूचित जातियां): मैं लाखों मजदूरों तथा किसानों की ओर से बोलने खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि बजट को इस प्रकार से बनाया जाये जिससे गरीबों को लाभ पहुंचे। यदि आप देश की हालत सुधारना चाहते हैं तो इस जादू की छड़ी अर्थात् बजट से काम लीजिये। कहा जाता है कि नेहरू सरकार ने प्रस्तुत दशा बनाये रखी है किन्तु ऐसा करने में उसे लोगों के जीवन से खेलना पड़ा है। किन्तु अब जनता अपने तथा अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने देने के लिये तैयार नहीं है। किसी भी देश में धन का उत्पादन तथा वितरण उस देश की आर्थिक नीति पर निर्भर करता है। इससे ही लाखों लोगों की तकदीर का फ़ैसला होता है। पिछले पांच वर्षों के शासन में बेकारी का बोल बाला रहा है, लोग भूख से मर गये, उन्हें कष्ट सहने पड़े, केवल इसीलिये कि सरकार पूंजीपतियों का साथ देना चाहती है। उसे करोड़ों गरीबों की कोई परवाह नहीं है; देखा जाये तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण द्वारा साधारण आदमी के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी है तथा सरकार की आर्थिक नीति ने उसे एक वर्ष के लिये और भी पक्का कर दिया है।

सरकार की करारोपण नीति को ही लीजिये। राजस्व का लगभग ७० प्रति शत भाग अप्रत्यक्ष करों द्वारा वसूल किया जाता है जिसका अधिकतर बोझ ग़रीब उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। सरकार तो ग़रीब आदमी को चूस लेने पर तैयार हो गयी है। आवश्यक वस्तुओं पर कर लगा कर सरकार मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों तथा साधारण व्यक्तियों को भूखा रखना चाहती है। उन्हीं करों के कारण बहुधा उन्हें भूखा रहना पड़ता है। यही नहीं बल्कि रेलों का किराया तथा डाक के लिफ़ाफ़ों इत्यादि का मूल्य बढ़ा कर सरकार ने साधारण व्यक्ति के लिये जीवित रहना कठिन कर दिया है। कर इस प्रकार से लगाया जाता है कि उसका केवल ७।। प्रतिशत भार अमीरों पर पड़ता है तथा बाकी सब ग़रीबों और मध्यम श्रेणी के लोगों को सहन करना पड़ता है।

आय-कर को ही ले लीजिये। इस का भार उच्च मध्यम वर्ग के लोगों, छोटे व्यापारियों तथा छोटे उद्योगपतियों पर पड़ता है। किन्तु बड़े बड़े उद्योगपति, जमींदार तथा चोर बाजारी करने वाले साफ़ बच निकलते हैं। बड़े बड़े उद्योगों में लोग बेनामी अंश लेकर करोड़ों रुपये का आय-कर हड़प जाते हैं। उद्योगपतियों के साथ ऐसी उदारता दिखलाने का केवल एक अभिप्राय है और वह यह है कि सरकार उन्हें अप्रसन्न करके नहीं रह सकती। वह ब्रिटेन तथा अमेरिका के हाथ में कठपुतली बनी हुई है।

ब्रिटिश शासन के दौरान में जो आर्थिक नीति अपनाई जाती थी तथा अब कांग्रेस

राज्य में जो नीति अपनाई जा रही है उसमें मैं कोई अन्तर नहीं पाता। सरकार ने व्यापारियों या छोटे कारख़ानेदारों को कभी भी कोई रियायत नहीं दी है। इसके विपरीत उसने पूंजीपतियों पर कर घटा कर उनका साथ दिया है। हाल ही में पटसन पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है जिससे बिड़ला जैसे व्यक्ति अपार धन कमा सकें। किन्तु दूसरी ओर सरकार ने खाद्य सम्बन्धी सहायता बन्द करके साधारण व्यक्ति पर फिर आघात किया है।

बजट में बताया गया है कि ब्याज के रूप में हमें ६९॥ करोड़ रुपये वार्षिक देने पड़ते हैं। यदि आप अमेरिका इत्यादि देशों से ऋण ले कर उन्हें ब्याज के रूप में मोटी रकम देते हैं तो इस से कोई लाभ नहीं है।

यदि सरकार वास्तव में सच्ची है, यदि सरकार जनता की भलाई चाहती है, यदि सरकार वर्गरहित समाज चाहती है तो उसे साहस के साथ निम्न कर लगाने चाहियें:— अर्नाजित आय तथा दैव आय पर कर, मृत्यु कर, अधिशुल्क, सुधार कर, अतिरिक्त लाभ कर तथा कारबार लाभ कर पुनः लागू करने चाहिये, निगम कर तथा अतिकर की दरों में वृद्धि करनी चाहिये तथा आवश्यकता हो तो धन का युद्धयोगीकरण भी करना चाहिये। अन्त में, यदि सरकार काम देने की प्रत्याभति नहीं देती तथा यदि सरकार मजदूरों को उनकी मेहनत का लाभ नहीं उठाने देती है तो अवश्य ही वह नष्ट हो जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): माननीय चैयरमैन साहब, मेरे लायक दोस्त जो मुझ से पहले बोले थे उनकी तकरीरें सुनने के बाद मैं जो छोटी छोटी बातें इंटरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन (आन्तरिक प्रशासन) के बारे में कहना चाहता हूं। तो जो मैं छोटी छोटी बातें इंटरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं वह बिल्कुल डल (सारहीन) मालूम होंगी। अपने अपोजीशन (विरोधी पक्ष) के दोस्तों की तकरीर सुन कर तो मैं हैरान रह गया। एक तरफ एक साहब यह कहते थे कि हम हिन्दुस्तान के बाहर जाना चाहते हैं और एक ही मिनट में वह यह कहने लगे कि मैं इनकमटैक्स आफिसर (आय-कर अधिकारी) बनने के लिये तैयार हूं। अभी मैं ने एक तकरीर सुनी जो कि बहुत जोर से की गई और जिसमें सुपरलेटिव डिग्री (परमावधि वाचक) का कोई शब्द इस्तेमाल करने से बाकी नहीं रहा। मैं उस तक़रीर को सुनकर हैरान था। यह कहा जाता है कि यहां पर टैक्स कम कर दिया गया है साथ ही यह भी शिकायत थी कि यहां टैक्स बढ़ाया गया है। गर्जेकि वहां इस तरह की स्पीचेज (भाषण) थीं जो कि बिल्कुल कंट्राडिक्ट्री (परस्पर विरोधी) थीं। उन को सुनने वाला, उनको पढ़ने वाला और उनको करने वाला कोई अपने हृदय से उन को सपोर्ट (समर्थन) नहीं कर सकता। ऐसी तकरीरें इस मौके पर बिल्कुल बेमानी हैं और मैं उन की नकल नहीं करूंगा। मैं निहायत अदब से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में चन्द एक बातें अर्ज करना चाहता हूं जो कि इंटरनल ऐडमिनिस्ट्रेशन से और टैक्स से ताल्लुक रखती हैं।

पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस बजट में चन्द चीज़ों के लिये और चन्द उमूर म पूरी रकम नहीं दी गई है। मसलन एक बात जो मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि पंजाब के अन्दर पंजाब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे अखराजात करने पड़ते हैं जो कि फिलवाके सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहिये। पंजाब या दूसरे ऐसे प्रांविसेज (प्रान्त) में जो कि प्रांविसेज

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बार्डर (सीमा प्रांत) होते हैं उन में कुछ ऐसे खर्चे प्राविंस को करने पड़ते हैं जो कि प्राविंस के प्रोटक्शन (संरक्षण) के लिये नहीं होते बल्कि उन खर्चों को उन प्राविंसेज को इस लिये बरदाश्त करना पड़ता है कि वह बार्डर पर हैं। दर अस्ल यह अखराजात सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहियें। चुनांचे अभी जब पंजाब के अन्दर बजट पास हुआ और बजट पर बहस हुई तो पंजाब गवर्नमेंट ने और मेम्बर साहिबान ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि यह अखराजात जो पंजाब कन्सटेबुलरी व ऐसे और हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बरदाश्त करने चाहियें और मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इन्साफन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह खर्चे पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालने चाहियें बल्कि खुद बरदाश्त करने चाहियें।

दूसरी बात जो मैं इस जिम्न में कहना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक कि कहत का सवाल है हिन्दुस्तान में कहत का सारा खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया को बरदाश्त कराना चाहता हूं। यह ठीक है कि फूड (खाद्य) की रेसपांसिबिलिटी (जिम्मेदारी) स्टेट्स (राज्य) की गवर्नमेंट्स (सरकारों) की है और सब स्टेट्स को मिल कर के अपने अन्दर फूड का इन्तिजाम करना चाहिये लेकिन जहां तक ऐबनारमल सरकमस्टेंसेज (असाधारण परिस्थितियों) का सवाल है जैसे बाढ़ या सूखा वगैरह वहां यह खर्चा स्टट गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं डालना चाहिये और सिवा इस के कोई चारा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस खर्चे को बरदाश्त करे। चुनांचे जिले हिसार में जो कहत पड़ा उसमें पंजाब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा और फिर भी वहां के लोगों को यह शिकायत रही कि उनके लिये काफी नहीं किया गया। इस कहत में हिसार में करीब एक लाख गायें जाया हो गईं। आप साहिबान को मालूम है कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक हरियाना ब्रीड (नस्ल) ही ऐसी है कि जिससे पंजाब यू० पी० और दूसरे हिस्सों को मवेशी मिलते हैं और हरियाना ब्रीड से फायदा सारे भारत वर्ष को होता है। चुनांचे इस ब्रीड के इतने जाया हो जाने से न सिर्फ पंजाब का नुकसान हुआ है बल्कि सारे मुल्क का नुकसान हुआ है। इसलिये इस मामले को सिर्फ स्टेट पर ही नहीं छोड़ना चाहिये बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस में हिस्सा लेना चाहिये। इसी तरह से सौराष्ट्र, अजमेर और रायलसीमा से --- यानी जहां जहां कहत हुआ है वहां से--यह आवाजें आ रही हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही है। स्टट गवर्नमेंट्स इस तरह का खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकती हैं और उनको ही यह खर्चा बरदाश्त करना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिये कि वह ऐसे हालात में स्टेट गवर्नमेंट की मदद करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों की यह शिकायत नहीं हटेगी कि हम को पूरी पूरी इमदाद नहीं होती है। इस मर्तबा जो शिकायतें रहीं उनमें यह भी शिकायत थी कि स्टेट्स में मजदूरों को आठ-आठ, दस-दस और बारह-बारह आना मजदूरी दी गई जो कि बहुत थोड़ी थी। आज चरखे के जरिये जो मदद दी जाती है उसमें से ढाई आने की मदद पहुंचती है। इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक फैमीन (अकाल) का सवाल है इसके लिये एक सेंट्रल फैमीन फंड (केन्द्रीय अकाल कोष) कायम किया जाना चाहिये जैसा कि पहले भी था।

इसी सिलसिले में एक बात और अज करना चाहता हूं कि रिहैब्रिलिटेशन (पुनर्वास) के सिलसिले में सरकार ने जो मदद दी है उस के बारे में सरकार का यह खयाल है कि इस मदद से लोग रिहैबिलिटेट हो

गये हैं। दरअस्ल बात ऐसी नहीं है अभी तक रिफ्यूजीज (शरणार्थी) को गेनफुल एम्प्लाइमेंट (लाभकर नौकरी) नहीं मिली है और सरकार को यह कम्प्लेसेंसी (संतुष्टता) कि रिफ्यूजीज का इन्तिजाम हो गया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दुरुस्त नहीं है। अभी रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स कारपोरेशन (पुनर्वास वित्त निगम) के वास्ते एक डैपुटेशन (प्रतिनिधि मंडल) फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ था। उस वक्त हम ने अर्ज किया था कि रिहैबिलिटेशन कारपोरेशन को १५ करोड़ रुपया मिलना चाहिये और मैं यह अर्ज करूंगा कि यह दरख्वास्त माकूल है। इस को मंजूर करना चाहिये।

इस हाउस (सदन) में बहुत जोर से यह शिकायत की गई है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियां) की एजुकेशन (शिक्षा) के लिये बहुत कम रुपया दिया गया है और मैं उस शिकायत को निहायत अदब से दुहराना चाहता हूं। सन् १९२८ में लाला लाजपत राय ने यहां खड़े हो कर पुरानी गवर्नमेंट से कहा था कि गवर्नमेंट को इन लोगों की तालीम के लिये एक करोड़ रुपया देना चाहिये। हम ने भी कांस्टीट्यूशन बनाते वक्त यह कस्म खाई थी कि दस साल में हम इन का दरजा इतना ऊंचा कर देंगे कि उन को किसी फरदर रिप्रेजेंटेशन (अग्रेतर अभ्यावेदन) की या किसी खास रियायत की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हमारा वही मैयार कायम है तो हम को उन की तालीम के लिये कम से कम एक करोड़ रुपया रखना चाहिये था।

अब इन बातों को छोड़ कर मैं चन्द बातें टैक्सेशन (करारोपण) के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। एक बात जो मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक टैक्स का सवाल है हमारा जो यह टैक्सेशन का सिस्टम (प्रणाली) है वह दरअसल कई तरह से निहायत डिफेक्टिव (दोषपूर्ण) है। यह टैक्सेशन का सिस्टम यहां पुराने जमाने से चला आ रहा है। जब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी तो वह यहां के लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहती थी और उस ने ऐसी तरकीबें निकाली थीं कि जिन से यहां पर लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाये। वही सारा का सारा सिस्टम अभी तक चला आ रहा है। अब मैं यह अर्ज करूंगा कि यहां पर फौरन एक टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन (करारोपण जांच आयोग) बिठाया जाय और वह सारे टैक्सेशन के सिस्टम की जांच कर के बतावे कि यहां किस तरह से टैक्स होना चाहिये। चुनांचे मैं सन् २८ से फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहिबान की खिदमत में अर्ज़ करता चला आ रहा हूं कि हिन्दू ज़ाइंट फ़ैमिली (हिन्दू संयुक्त कुटम्ब) का टैक्स बिल्कुल नाजायज़ है। यह फंडामेंटल प्रिंसिपल्स (मूल सिद्धान्तों) के खिलाफ़ है और वैसे भी अनजस्ट (अनुचित) है। मैं इस के ऊपर बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चका हूं इसलिये मैं उन चीज़ों को दुहराना नहीं चाहता। इस के अलावा मझे और भी बहुत सी बातें अर्ज़ करनी हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि इस सवाल को बराबर टाला गया है। आज तक मेरे सामने कोई ऐसा फ़ाइनेंस मिनिस्टर नहीं आया कि जिस ने इस को डिफ़ेंड (समर्थन) किया हो कि हिन्दू ज़ाइंट फ़ैमिली का टैक्सेशन ज़ायज़ है। हर एक फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार किया। लेकिन रुपये का मामला है। हर एक यह चाहता है कि रुपये मेरी जेब में डाल जाइये। अभी तक इस सवाल पर कुछ नहीं किया गया। इसलिये मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम को जायज़

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करार देना चाहते हैं तो आरग्यूमेंट (तर्क) से हम को हरा दीजिये। क्योंकि हम रोज़ रोज़ आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। यह हिन्द्र ज्वाइंट फ़ेमिली का जो टैक्सेशन है यह बिल्कुल नाज़ायज़ है और इन्साफ के उसूलों के ही नहीं बल्कि फ़ंडामेंटल उसूलों के भी खिलाफ़ है। क्या आप लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि वह जा कर सुप्रीम कोर्ट से इस को नाज़ायज़ क़रार दिलायें। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि खुद आप के इन्वैस्टीगेशन कमीशन (जांच आयोग) में भी इस के बारे में जो सिफ़ारिशें की हैं उन को भी आज तक आप ने मंज़ूर नहीं किया है। आप कहते हैं कि आप की आखिरी लिमिट ३,६०० है लेकिन जो आदमी ५०० या ६०० पैदा करता है वह भी इस नाज़ायज़ तरीके से टैक्स हो जाता है। इस के ऊपर गौर होना चाहिये इस मर्तबा फ़ाइनेंस बिल (वित्त विधेयक) हमारे सामने नहीं है कि जिस वक्त हम को यह कहने का मौका मिलता। इसलिये मैं ने इस को वहां अर्ज़ कर दिया।

इस तरह से आप ने टैक्स के सिलसिले में कुछ तरीके बना लिये हैं। इस सिलसिले में एक कहानी कई बार सुनाई जा चुकी है कि :—

हिसाब जूं का तूं, कुन्बा डूबा क्यों।

आप कुछ अवरेजेज़ (औसत) मुकर्रर कर लेते हैं कि फ़लां ट्रेड (व्यापार) में इतना फ़ायदा होता है। इसी हिसाब से आप टैक्स वसूल करते हैं। यह जो आप ने अवरेजेज़ का तरीका बना लिया है वह गलत है। इस के ज़रिये से आप यह बगैर देखे कि उस आदमी को वाकई कितना फ़ायदा हुआ है अपना टैक्स वसूल कर लेते हैं। अगर यह चीज़ दुरुस्त होती तो इनकम टैक्स (आयकर) के लिये इन्डीविजुअल केसेज़ (वैयक्तिक मामले) में जाने की ज़रूरत ही क्यों होती। मैं इसलिये आप की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि इस को छोड़िये।

अब तम्बाकू की तरफ़ देखिये। इस हाउस (सदन) में कई साहिबान ने इस के बारे में शिकायत की है। मैं न तो सिगरेट पीता हूं और न बीड़ी, लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस पर टैक्सेशन का इंसीडेंस (आपात) बहुत सख्त है।

एक बीघा की कीमत तकरीबन हमारे ज़िले के आस पास में १५०, २०० रुपये है लेकिन जहां पर तम्बाकू बोई जाती है वहां सिर्फ़ टैक्स १५०, २००, २५० रुपये एक बीघा का ले लेते हैं। कहां का इन्साफ़ है कि दाढ़ी से भी मूंछ बड़ी हो, कीमत से भी ज्यादा टैक्स हो। एक गांव में ६ हज़ार बीघा ज़मीन है और उस की सालाना माल-गुज़ारी ८३० रुपये है। इंकम टैक्स के इंस्पैक्टर जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम ६ या ७ हज़ार रुपया टैक्स लेंगे। मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि यह आप का टैक्सेशन किस तरह होता है। जब फ़सल खड़ी होती है तो लोग दरख्वास्त देते हैं कि इस की जांच कर ली जाये लेकिन तब कोई नहीं जाता बाद में आर्बिटरैरी (मनमानी) तरीके से जो रकम चाहते हैं लगा देते हैं। मेरे पास एक दो नहीं बहुत सी शिकायतें हैं और मैं ने चन्द एक डिप्टी फ़ाइनेंस मिनिस्टर के पास पास-आन (भेज-देना) कर दी है। एक शिकायत तो मेरे पास ऐसी है जो कि एक रिटायर्ड इंकम टैक्स ओवरसियर की है जो यह कहते हैं कि इस के अन्दर बहुत ज्यादती होती है और ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं अदब

से अर्ज़ करूंगा कि इस के जांचने की ज़रूरत है ।

इस के अलावा एक रिफ़ार्म (सुधार) के बारे में मैं खास तौर से अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर (अपील सहायक आयुक्त) को सी० बी० आर० की मातहती से हटा दें। अगर वह सी० बी० आर० की मातहती में रहते हैं तो वह इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) तौर से काम नहीं कर सकते । अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर इंडिपेंडेंट नहीं हैं । बाकी जितने आफिसर्स हैं वे खुद ही टैक्स लगाते हैं, तहकीकात करते हैं, खुद ही पुलिस हैं और खुद ही जज हैं । सारे मुल्कों में ऐसा ही है । इस के बारे में मेरी शिकायत नहीं है मेरी शिकायत तो यह है कि जो अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर हुए हैं यह इंडिपेंडेंट नहीं हैं और जब तक यह शख्स सी० बी० आर० के मातहत हैं तब तक वह इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर सकता । इस का ट्रांसफ़र (बदली), प्रोमोशन (तरक्की) और पोस्टिंग (नियुक्ति) सब कुछ सी० बी० आर० के मातहत है। जो सर्कुलर वह जारी करता है उसे उस को मानना पड़ता है । इस तरह इंकम टैक्स में इंडिपेंडेंट जुडीशियरी (स्वतन्त्र न्याय-विभाग) कायम नहीं रह सकती और पूरा इंसाफ़ नहीं हो सकता। मैं अर्ज़ करूंगा कि आप के इंवेस्टीगेशन कमीशन ने भी इस डिमांड (मांग) को सपोर्ट (समर्थन) किया था। इसलिये आप को यह रिफ़ार्म करना चाहिये। उन्हों ने यह कहा कि अपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर को इस के अंडर (अधीन) से इस की मातहती से, हटा कर इंडिपेंडेंट बना देना चाहिये। मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि यह ऐसा रिफ़ार्म (सुधार) है जिस को आप को फौरन मंजूर कर लेना चाहिये। और अमल में ले आना आहिये । यू० पी० में सेल्स टैक्स (बिक्री कर) के मुताल्लिक झगड़ा हुआ, वहां इस तरह के अफसरान मुकर्रर थे लेकिन उन को इंडिपेंडेंट बना दिया और उन का तजर्बा कामयाब हुआ। जो पहले एक्ज़ीक्यूटिव आफ़िसर्स (कार्यकारी अधिकारी) थे उन को एक इंडिपेंडेंट जुडीशियल आफ़िसर के मातहत कर दिया है। मैं अर्ज़ करूंगा कि ऐसा करना निहायत मुनासिब होगा ।

मैं एक बात की तरफ़ आप की तवज्जह और दिलाऊंगा और इस मौके पर मेरा काम कुछ थोड़ा सा प्लेज़ेंट (आनन्ददायक) भी है । इंवेस्टीगेशन ऐक्ट (जांच अधिनियम) जो सन् १९४७ से हमारे देश में है उस की तरफ़ मैं हमेशा हाउस की तवज्जह दिलाता रहा हूं और मैं कहता रहा हूं कि ऐसा सख्त कानून शायद हिन्दुस्तान में कोई नहीं जैसा कि इंवेस्टीगेशन कमीशन का । इतना ही नहीं जब कामयाबी नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम यहां पर जारी किया कि उन को इतने अख्तियारात दे दिये जो ज़रूरत से ज्यादा हैं। मैं इस का क्रिटिक (आलोचक) हमेशा रहा हूं । लेकिन मुझे खुशी है और मैं इसी वास्ते कहता हूं कि यह मेरा प्लेज़ेंट टास्क (रुचिकर कार्य) है कि इंकम टैक्स और फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो काम किया वह इस कदर शानदार था कि मैं उस की तारीफ़ किये बगैर नहीं रह सकता। मैं किसी साहब को खुशामद नहीं करता लेकिन यह भी दुरुस्त नहीं होगा कि मैं हर एक शख्स को जो ड्यू नीड आफ़ प्रेज (जितनी सराहना के योग्य है) है कह न दूं । हमारे श्री महाबीर त्यागी ने जो काम किया उस को मैं क्या कहूं । श्री त्यागी साहब ने तो इस के अन्दर बिल्कुल जादूगर का सा काम किया। इधर तो क्या किया कि अपने अफ़सरान में, कमिश्नर्स में और इंकम टैक्स अफ़सरान में उन के दिल

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में, आग लगा दी कि तुम जाओ और रुपया इकट्ठा करो, यह कम्पीटीशन (प्रतियोगिता) करा दिया कि तुम जाओ और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो और वह भी किस तरीके से ब्योरोक्रेटिक (नौकरशाही), तरीके से नहीं, बल्कि डैमोक्रेटिक ऐप्रोच (प्रजातंत्रीय पहलू से) जाओ, लोगों के पास जाओ और उन का काम करो और दूसरी तरफ़ क्या किया कि टैक्स इवैडर (कर हड़पने वाले) से कहा कि तुम्हारी चिमनी की आग नहीं बुझने देंगे एक तरफ़ आग लगा दी और उधर बुझने नहीं दी। तो फ़िर क्या किया, जनाब वाला ६९ करोड़ रुपया इस तरकीब से हासिल किया कि टैक्स इवेडर खुशी खुशी इस को खज़ाने में डालते रहे। जादूगर क्या करता है, यही तो सौदेबाज़ी करता है, कि देना मैं चाहूं नहीं लेकिन मुझ से ले ले। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ६९ करोड़ रुपया का गबन ड्रैकोनियन मैथड से नहीं, स्टार चैम्बर मैथड से नहीं, बल्कि सही तरीके से, मालूम कर लिया। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह काम ऐसा था जो सराहनीय है और इस के अलावा जी बड़ी बात है वह यह है कि आप के डिपार्टमेंट ने वह उसूल कायम किया जो कि सही उसूल था और यह जो डिपार्टमेन्ट का उसूल व पोज़ीशन (स्थिति) थी उसमें किसी तरह से नुक्सान नहीं पहुंचने दिया। साथ ही मेरे नुक्ते ख्याल वालों ने जो सुझाव रखे थे उन को सच्चा ठहरा दिया। मैं अपने फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी तारीफ़ करना चाहता हूं उन्होंने करदाता यानी इन्कम टैक्स देने वालों की मदद की है। उन्हों ने अभी बताया कि पब्लिक रिलेशंस आफ़िसर्स (जन सम्पर्क-अधिकारी) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में मुकर्रर किये गये हैं। उन का क्या काम होगा? उन का काम यह होगा कि वे इंकम टैक्स असैसी की मदद करेंगे। मैं यही चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में कोई ऐसा नहीं जो यह न चाहे, मैं यह चाहता हूं कि इस देश में जो इंकम टैक्स देने वाले हैं वे इंकम टैक्स को इवेड न करें, वे इंकम टैक्स देना अपना फ़र्ज़ समझें, वे यह समझें कि यह नेशनल गवर्नमेंट है और जो कुछ उन्हें देना है वह ज़रूर दें। साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि हर एक इंकम टैक्स आफ़िसर असैसी का दोस्त हो और उस पर असैसी का भरोसा हो कि जो कुछ रकम कानून न दी जानी चाहिये उस से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जायेगा। कि जो कुछ हमें देना है वह उसे लेगा यह चीज़ हर एक आज़ाद मुल्क में मैं देखता हूं, कि ईमानदार असैसी की अच्छे इन्कम आफ़िसर इम्दाद करते हैं। जब आप ने मद्रास और कलकत्ते वगैरह में ऐसे अफ़सरों को लगाया है तो मैं अर्ज़ करूंगा कि इस पालिसी को जारी रखें और जहां तक हो सके ऐसे आदमियों को मुकर्रर करें जिन के पास इन्कम टैक्स असैसी भरोसे से जाये और कहे कि हमारी मदद करें। गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक की नौकर है अब गवर्नमेंट को उन को तरक्की नहीं देना चाहिये कि जो इंकम टैक्स आफ़िसर ज्यादा रुपया इकट्ठा करे उस को तरक्की दे दे बल्कि वह इंकम टैक्स आफ़िसर जो कि सही तौर पर टैक्स लगाये वह आइन्दा तरक्की का मुस्तहक है। अच्छा अफ़सर वह है जो इंसाफ़ की कार्यवाही से हमारे सर को ऊंचा कर दे और हमारे खज़ाने को भी भर दे।

मैं जनाब की खिदमत में दो एक ज़रूरी बातें और अर्ज़ करूंगा। मैं ने चन्द पिछले सेशन में कस्टम बैरियर (बहिःशुल्क चौकी) के बारे में अर्ज़ किया था। कस्टम बैरियर जो स्टेट

के अन्दर, हमारे प्राविसेज़ के अन्दर होते हैं उन के बारे में अर्ज़ किया था तो हमारे फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब मेरी उस तकरीर को सुन कर ज़रा चौकन्ने से हो गये थे। अगले रोज़ उन्हों ने कहा कि पांच साल के लिये मुआहिदा हो चुका है। मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर वह मुआहिदा पांच साल का हो चुका है तो उस के पीरियड (अवधि) को हटा सकते हैं। एक आज़ाद मुल्क में आपस में स्टेट्स में कस्टम बैरियर का होना अनथिंकेबिल (सोचा नहीं जा सकता) है। मैं कहता हूं कि टैक्सेशन में यूनीफ़ार्मिटी (एकरूपता) होनी चाहिये। सेल्स टैक्स में यूनिफ़ार्मिटी करते हैं, इन्कम टैक्स में यूनिफ़ार्मिटी करते हैं तो इस में भी यूनिफ़ार्मिटी होनी चाहिये। यह एक आज़ाद मुल्क की सभ्यता के खिलाफ़ है कि आपस में इस तरह की यूनिफ़ार्मिटी न हो।

एक बात मैं और अर्ज़ करूंगा। अब फ़ाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि हमारे पास जितनी तजवीज़ हैं, जो डेवलपमेंट (विकास) की तजवीज़ हैं उन को हम जानते हैं कि बहुत अर्से तक स्टेट को चलाना है और सारे देश को उन्नति करना है। ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप स्टेट्स को हर मामले में ग्रांट्स (अनुदान) और लोंस (ऋण) न दें बल्कि स्टेट को वह रिसोर्सेज़ (संसाधन) दे दें कि स्टेट अपनी ताकत से खुद उन रिसोर्सेज़ की आमदनी को निकाले और यह महसूस करे कि उस की आमदनी से जो एक एक पैसा खर्च होता है वह ठीक ठीक होता है। जो आप देते हैं उसे स्टेट्स इधर उधर खर्च कर देती हैं, स्कवैंडर (फ़िज़ूल खर्ची) कर देती हैं और वह यह समझती हैं कि यह कर्ज़ शायद फ़ाइनेंस मिनिस्टर वसूल नहीं करेंगे। इसी सम्बन्ध में एक निहायत ज़रूरी बात अर्ज़ कर देता हूं--और एक चौथाई मिनट में ही अर्ज़ करे देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि डैमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) वर्क (कार्य) करे, अगर आप चाहते हैं कि आप की सारी स्कीम (योजना) अच्छी तरह वर्क करे तो डिसेंट्रलाइज़ेशन (विकेन्द्रीकरण) का काम सिर्फ़ यह ही न होना चाहिये बल्कि यह होना चाहिये कि उस के लिये स्टेट को मजबूर करे कि आमदनी में से हिस्सा हर एक ज़िले व ताल्लुके को हर एक विलेज़ को, ग्रुप को, हर एक गांव को, स्टेट दे जिस को ताल्लुक वाले, विलेज वाले, गांव वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले खुद खर्च कर सकें और महसूस कर सकें कि दरअसल आज हिन्दुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम हुई है और इस के बनाने में और इस के रुपये के इस्तेमाल करने में हम को भ अख्तियार है और यही सही नमूना है डैमोक्रेसी का। यही डिमाक्रेसी है।

बस मुझे इतना ही कहना है। मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मेहरबानी कर के मुझे एक दो मिनट ज्यादा दिया।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम): माननीय वित्त मंत्री ने जनता में आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो दृढ़ता का भाव ला दिया है उस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। सरकार की आर्थिक व्यवस्था पंच वर्षीय योजना पर निर्भर करती है तथा अब यह काम वित्त मंत्री महोदय का है कि वह उसके लिये धन की व्यवस्था करें। किन्तु हमें यह बतलाया जाता है कि लाभ का बजट तैयार नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें देश में ऋण नहीं मिलता है। किन्तु यह ऋण क्यों नहीं मिलता है इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। क्या यह इस कारण है कि हम पर्याप्त धन बचा नहीं पाते हैं अथवा जिन के पास धन है वे सरकारी हुन्डियों में धन लगाना नहीं चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में इस बात को ध्यान

[श्री तुलसीदास]

में रखें कि जनता सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया तभी लगायेगी जब उसे इस बात का विश्वास हो जायेगा कि सरकारी विभागों में धन का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही उद्योगपति इस बात की कोशिश करें कि कम क़ीमत पर माल तैयार किया जाये तथा वे विदेशी माल से मुक़ाबला कर सकें।

कुछ लोगों का विचार है कि हम घाटे का बजट बना कर धन की कमी को पूरा करें अर्थात् मुद्रा का प्रसार करके। किन्तु ऐसा करने के लिये हमें अपनी नक़दी तथा पौंड पावने पर दृष्टि रखनी पड़ेगी जो कि दोनों ही बहुत कम रह गये हैं। इस के अलावा अभी हाल ही में हम मुद्रास्फीति के चक्कर से बाहर निकले हैं और यदि ज़रा सी भी ग़लती हो गई तो यह ख़तरनाक साबित हो सकती है। नोट छाप कर चलाना सरल कार्य नहीं है। आप को अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिये। किन्तु यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस धन को ऐसे मदों में लगाइये जिन से तुरन्त लाभ हो सके।

कुछ समय पूर्व रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया था जिस के कारण एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यदि हम चाहते हैं कि जनता सरकारी मदों में अपना रुपया लगाये तो यह आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक हमेशा सरकारी प्रतिभूतियों को अपना समर्थन देता रहे अन्यथा रुपया मिलना कठिन है। हमें विदेशी सहायता इस बात को ध्यान में रखते हुए लेनी चाहिये कि उससे हमारे उद्योगों को हानि न पहुंचे।

श्री एन० एस० नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा): इसके पूर्व कि मैं सदन में प्रस्तुत किये गये अनेक कटौती प्रस्तावों पर विस्तार से कुछ कहूं मैं सदन का ध्यान उस स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो मद्रास में विनियन्त्रण के कारण उत्पन्न हो गई है। वहां पर चावल का दाम ११ आने ८ पाई से बढ़ कर १ रुपया ३ आने ४ पाई हो गया है। इसका ग़रीबों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि उसमें आंकड़े कभी ठीक से नहीं दिखाये जाते हैं। यह कहीं अच्छा होता यदि एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित कर दी जाती जिस में यह बताया गया होता कि अस्थायी संसद् के अन्तिम सत्र में कितनी राशि पारित की गई; नई मांगें क्या क्या हैं तथा बजट आगणनों में, जिस रूप में कि वे अस्थायी संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, तथा अब के आगणनों में क्या अन्तर है। वित्त मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यही मंत्रालय अन्य मंत्रालयों को धन देता है। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारा वित्त मंत्रालय बहुत बेढंगे तरीके से काम करता है। पूंजीपतियों को प्रसन्न करने के हेतु वित्त मंत्री ने इस देश के धन तथा रक्षित पूंजी से हाथ धो लिये हैं जिसका परिणाम यह है कि अब हम लगभग दिवालिये हो चले हैं। राष्ट्र निर्माण की योजनाओं के लिये बहुत कम राशि दी गई है। धन की कमी के कारण ही अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन बिल्कुल असफल हो गया है। ज़मींदारी का समाप्त करने के लिये हम जो किसानों से रुपया वसूल कर रहे हैं उससे देश को कोई लाभ न होगा। ऐसा करने से किसान की सामर्थ्य कम हो जायेगी जिसके कारण ठीक से वह खेती न कर सकेगा तथा जिस का परिणाम यह होगा कि अकाल पड़ने लगेंगे।

रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि वित्त मंत्रालय ने अपनी बड़ाई के पुल बांध

दिये हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि वित्त मंत्री एक सर्वोच्च प्रधान मंत्री बन बैठते हैं तथा उनके नीचे काम करने वाले भी अपने आप को किसी छोटे तानाशाह से कम नहीं समझते। प्रशासन तंत्र के लिये कोई ढंग नहीं है, न ही वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय के बीच कोई सहयोग अथवा समन्वय है।

जो राशि कर्मचारियों को वेतन के रूप में देने के लिये दिखलाई गई है उसका बहुत बड़ा भाग मोटी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी साफ़ कर देते हैं। निम्नवर्ग के कर्मचारियों की तो कोई परवाह ही नहीं है।

क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय में भारत के सभी राज्यों से काम करने के लिये कर्मचारी आते हैं। अतः यदि वर्ष में एक बार वे अपने घरों को वापस जाना चाहें तो इस में क्या आपत्ति है। इसके लिये उन्हें विशेषाधिकार टिकट तो मिलना ही चाहिये।

जहां तक राज्यों के सशस्त्र दलों के समयोजन का सम्बन्ध है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे राज्य अर्थात् त्रावनकोर-कोचीन के साथ अन्याय किया गया है। वहां के सैनिकों के लिये बिना किसी नौकरी की व्यवस्था किये हुए ही उन्हें निकाल दिया गया है। जब कि इस सम्बन्ध में हैदराबाद तथा मैसूर के साथ कहीं अच्छा व्यवहार किया गया है।

मैं सरकार का ध्यान त्रावनकोर-कोचीन राज्य के आयकर विभाग की ओर आकर्षित करता हूं। वैसे तो सरकार कहती है कि उसके पास अनुभवी व्यक्तियों की कमी है किन्तु त्रावनकोर-कोचीन में ऐसे व्यक्तियों की अधिकता है जो आय-कर से भलीभांति परिचित हैं। अतः सरकार को उन अधिकारियों से लाभ उठाना चाहिये।

राज्यों के वित्तीय समयोजन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमें सामान्य राजस्व में से ६० प्रतिशत मिलना चाहिये। क्योंकि हमारे राज्य में अनाज की कमी रहती है तथा हम ऐसी फ़सलें पैदा करते हैं जिस से डालर प्राप्त होते हैं अतः हमें अतिरिक्त रूप से ७५ प्रतिशत सहायता मिलनी चाहिये।

अन्त में, मैं यह कह देना चाहता हूं कि आज की भारत सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है वह मज़दूरों का कुछ भी ध्यान नहीं रख रही है। मेरे विचार में वर्तमान भारत सरकार की तुलना रूस की १९१७ की किरेन्सकी सरकार तथा दो वर्ष पूर्व वाली चीन की च्यांगकाई शेक सरकार से की जा सकती है। यदि सरकार ने मज़दूरों के हितों का ध्यान न रखा तो क्रांति आने में देर न लगेगी।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मुद्रास्फीति का प्रश्न इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फैला हुआ है। अतः यदि हम भारत सरकार की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में उसकी सफलता अथवा असफलता ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि उस की नीति से मुद्रास्फीति में कहां तक कमी हुई है। एक और ऐसे भी देश हैं जहां मुद्रास्फीति मार्च १९५० में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी जैसे चीन, जापान, फ्रांस, इटली इत्यादि तथा दूसरी ओर कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, हालैन्ड, नार्वे, इंगलैन्ड ऐसे भी देश हैं जहां उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा था। इन दोनों प्रकार के देशों पर हुए मुद्रास्फीति के प्रभाव को देखने से पता लगता है कि भारत की स्थिति बहुत खराब नहीं हुई है। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जहां इसका प्रभाव न हुआ हो। अन्य देशों की स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत सरकार की वित्तीय नीति ठीक और सफल प्रमाणित हुई है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत ग़लतियां की गई हों क्योंकि

[श्री वी० बी० गान्धी]

यह बजट एक विशाल संघ का बजट है। हो सकता है हम परिणामों से सहमत हों किन्तु जिन बातों को लेकर वे परिणाम निकाले गये हैं उन से सहमत न हों। किन्तु अन्त में यह तो कहना ही पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों को छोड़ कर सरकार की वित्तीय नीति की सराहना तो करनी ही पड़ेगी।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर): कुछ लोगों का विचार है कि हमें विदेशी सहायता नहीं लेनी चाहिये। किन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस ने अपने निर्माणकाल में विदेशी सहायता न ली हो। रूस को ही ले लीजिये। सन् १९२९ से १९३२ तक रूस बराबर विदेशी सहायता लेता रहा। और यदि हम ने कुछ गेहूं ले लिया, वह भी बिना किसी शर्त पर, तो क्या बुरा किया।

हमारी सरकार के लिये यह दुर्भाग्य का विषय है कि गत ४ वर्षों में उसे अपने वित्त मंत्री तीन बार बदलने पड़े। किन्तु, मेरे विचार में वर्तमान वित्त मंत्री जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं उस से चीज़ों के दाम गिरने में काफ़ी सहायता मिली है।

सदन में सुझाव रखा गया था कि हम घाटे का बजट बनायें। यदि घाटे के बजट की ठीक रूप से व्याख्या की जाये तो उस का यह अर्थ नहीं होता कि हम देश के अन्दर या बाहर से ऋण लेकर अपनी आवश्यक ताओं को पूरा करें। उसका अर्थ होता है नोट छापना जिसके भुगतान के लिये सरकार के पास नग़दी नहीं होती। यह एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं नहीं समझता कि यह विषय सदन का समर्थन प्राप्त करने के लिये रखा ही क्यों गया। यदि यह विषय आना ही है तो केवल वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री को इसे रखना चाहिये।

प्रान्तीय राजस्व के नियतन का मामला वित्त आयोग के सामने है इसलिये मैं यहां पर उसके विषय में अधिक नहीं कहना चाहता, फिर भी, मेरा निवेदन है कि यह मामला शीघ्र से शीघ्र निबटा दिया जाये जिससे राज्य सरकारें वर्ष के आरम्भ ही में यह जान लें कि उन्हें केन्द्र से कितनी राशि मिल सकेगी। वर्ष के बीच में सहायक अनुदान की याचना करना ठीक नहीं रहता। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री पश्चिमी बंगाल का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जैसा कि उन्हों ने अपने पंचाट में रखा है।

सन् १९५१-५२ के जो आगणन रखे गये थे तथा सन् १९५१-५२ वर्ष में जो वास्तविक प्राप्ति हुई उस में बहुत अन्तर है तथा इस वर्ष भी फ़रवरी में जो आगणन रखे गये थे वे मई में रखे गये आगणनों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे विचार में आंकड़ों के सम्बन्ध में इतना अन्तर होना वित्त मंत्रालय को शोभा नहीं देता। इसका जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि सरकार उन्हें मूर्ख बना रही है। अतः बजट के आंकड़ों में तथा वास्तविक आंकड़ों में कुछ तो सम्बन्ध होना ही चाहिये।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि भारत सरकार का राजकोष पर जो नियंत्रण है वह संतोषजनक नहीं है। मेरा अपने मित्र श्री देशमुख से निवेदन है कि वह राजकोष पर और कड़ा नियंत्रण रखें। उन्होंने मंत्रियों तथा उनके मंत्रालयों को बहुत ढील दे रखी है। मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि योजना मंत्री ने आगणन समिति की कुछ उपपत्तियों को गलत ठहराने की कोशिश की। मेरे विचार में

किसी भी व्यक्ति के लिये, मंत्री का तो कहना ही क्या है, सदन को संविहित समितियों की उपपत्तियों को ग़लत ठहराना ठीक नहीं है।

मेरे विचार से भारत सरकार को वित्तीय नीति बिल्कुल ठीक है। गत् पांच वर्षों में हम ने अनेक कठिनाइयों को पार किया है। अब हम जिस स्थिति में हैं उसके लिये मैं श्री सी० डी० देशमुख को बधाई देता हूं। अब तक सदन में किसी ने यह प्रस्ताव नहीं रखा है कि आय में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है तथा व्यय किस प्रकार से घटाया जा सकता है।

बम्बई में मेरे मित्र श्री देशमुख ने एक और दूसरा मितव्ययता समिति नियुक्त करने का सुझाव रखा था किन्तु जब पहले नियुक्त की गई इस प्रकार को समितियों को सिफारिशों की कार्यान्वित नहीं किया गया है तो और दूसरो को नियुक्त करने का क्या लाभ। अन्य लोगों के साथ में भी अपने मित्र श्री त्यागी की उन के काम के लिये उन की सराहना करता हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि वह चोर बाजारी करने वालों को यों न निकल जाने दें। उनके द्वारा जमा की गई सम्पत्ति को जब्त कर लें। मेरे विचार में उनके ही हाथों में सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने का भी काम सौंप दिया जाये। कम से कम ५० प्रतिशत कर्मचारी तो कम किये ही जा सकते हैं। इस से काफी बचत हो सकती है।

अन्य देशों को हम ने जो धन उधार दिया है अर्थात् पाकिस्तान और बर्मा को, उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है। जर्मनो से प्रथम महायुद्ध के हर्जाने के रूप में जो राशि प्राप्त होती थी उसे लेना क्यों छोड़ दिया गया? द्वितीय महायुद्ध के सम्बन्ध में हमें जापान से कितना हर्जाना प्राप्त होना है? मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

कोरिया की स्थिति को देखते हुए क्या हमारे माननीय वित्त मंत्री इस देश के चोरबाजार करने वालों, उद्योगपतियों तथा पूंजी पतियों पर ध्यान रख रहे हैं? यह वही लोग हैं जिन्होंने कोरिया का युद्ध आरम्भ होते ही चीजों के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिये थे तथा उनको चोरी से बेचते थे। मेरे विचार में वित्त मंत्री को ऐसे व्यक्तियों की गतिविधि पर सदन में तथा सदन के बाहर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।

मुझे ज्ञात नहीं है कि वित्त आयोग क्या कर रहा है किन्तु एक बात है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है एक करारोपण जांच समिति का नियुक्त किया जाना। हमें यह ज्ञात नहीं है कि केन्द्र को कौन से करों से लाभ पहुंचना है तथा राज्यों को कौन से करों से। यदि ऐसी समिति बन जाती है तो वह ऐसे करों को मिला कर एक केन्द्रीय विधि बनाने का प्रस्ताव रख सकता जिससे कुल राशि का नियतन राज्यों और केन्द्र में पुनः किया जा सकता है। किन्तु मेरा एक निवेदन है कि वित्त मंत्री इस मामले में पश्चिमी बंगाल का विशेष ध्यान रखें।

श्री सरमा (गोलाघाट—जोरहाट) : मैं सदन का ध्यान आसाम की उत्तर-पूर्वी सीमा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक आदिम जाति क्षेत्र है तथा इसमें पांच सब-डिवीजन हैं। इसका प्रबन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय करता है। इस की देखभाल के लिये केवल ३ करोड़ रुपये की व्यस्था की गई है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि बहुत थोड़ी है। इसमें से भी केवल १० लाख रुपये की राशि वहां के लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिये रखी गई है। यह तो बहुत ही कम राशि है।

[श्री सरमा]

आसाम राज्य एक गरीब राज्य है । उस में लगभग २७,००० वर्ग मील का पहाड़ी इलाका है । सामान्यतः पहाड़ी इलाकों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई के मामले में पिछे रहते हैं । वहां न स्कूल, न सड़कें न अस्पताल हैं । आसाम चाय और पटसन भी पैदा करता है जिस पर लगे कर के रूप में केन्द्रीय सरकार को करोड़ों रुपया प्राप्त होता है । फिर भी, देशमुख पंचाट के अनुसार आसाम को आयकर से होने वाली कुल आय का ३ प्रतिशत ही दिया गया है । आबादी, आय या और किसी आधार पर भी इतना कम राशि नहीं मिलनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार किये जाने वाले वित्तीय अन्याय को तुरन्त बन्द किया जाये तथा आसाम के नियतन में वृद्धि की जाय

श्री **एम० एल० द्विवेदी**: (जिला हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने आखिरकार मुझे बोलने का अवसर दिया यद्यपि ऐसा हो गया है कि जिन महाशयों ने, सदस्यों ने कई बार बोला उन को फिर से बोलने का मौका दिया गया और जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला, उन को मौका नहीं दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय । मेरे विचार में अच्छा तो यह होगा कि आप अपनी शिकायतें रखें ।

श्री **एम० एल० द्विवेदी**: सब से पहले मैं अर्थ मंत्री महोदय का ध्यान एक विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह समस्या है उन देशी राज्यों की जो कि भारतवर्ष के संघ में विगत तीन चार वर्षों के अन्दर, सम्मिलित कर दिये गये हैं। हम सब को ज्ञात है कि इन राज्यों की दशा पिछड़ी हुई है, वहां के लोगों को वचन दिया गया था कि उनकी दशा शीघ्र ही सुधारी जायेगी और वहां की शासन व्यवस्था ठीक की जायेगी वहां पर यातायात के साधन ठीक किये जायेंगे लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उस तरफ कोई खास प्रगति नहीं हुई है लेकिन जहां तक कर लगाने का सवाल है टैक्स लगाने का सवाल है या और जो बातें कर देने वालों पर लादने की थीं, वह जो सब हम ने उन पर लाद दीं और लगादीं और उन रियासतों को भी दूसरे अन्य राज्यों के समान स्तर पर ला दिया लेकिन जहां तक उन राज्यों को सुविधायें देने का सवाल है वहां के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का सवाल है या दूसरी ओर अन्य सुविधाएं देने का सवाल है, मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम ने वचन देने पर भी उस को पूरा नहीं किया है । यह तो आप मानेंगे ही कि देशी राज्यों में सड़कें नहीं हैं, वहां पर साधनों की कमी है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये था । कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स (सामूहिक परियोजनायें) हम ने निकाले हैं, इस में कोई शक नहीं कि यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हमारे देश के लिये बहुत लाभदायक प्रमाणित होंगे, लेकिन हमें कुछ और विशेष बात उन रियासतों के निवासियों के लिए करनी थी जो पिछड़े हुए थे । जिस प्रकार से हम "ए" राज्यों के लिये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की सुविधायें दे रहे हैं उसी प्रकार से "ख" और "ग" राज्यों को भी दे रहे हैं, लेकिन इस के अलावा "ख" और "ग" राज्यों के लिए और भी अन्य सुविधायें देना चाहिये थीं, क्योंकि वहां के निवासी "क" राज्यों के लोगों से पिछड़े हुए थे इसलिये उन्हें कुछ विशेष सुविधायें देनी चाहिये थीं, लेकिन हमने उनको कोई विशेष सुविधायें नहीं दीं और उन को "क" राज्यों के समान स्तर पर रखा और बर्ता, मैं समझता हूं कि यह उन के प्रति आप का

अन्याय है। इसलिये मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इन राज्यों की ओर शीघ्र ध्यान दें और उन की दशा को सुधारने की कोशिश करें।

इस के अतिरिक्त मैं आपका ध्यान शासन व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। यह ठीक है कि हमारी शासन व्यवस्था इन चार सालों में बहुत ही सुन्दर तरीके से बढ़ती चली जा रही है तो भी हमें कई बातों में सुधार करना है। उदाहरण के लिये मंत्रालयों में जो कार्यकर्त्ता लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं आज के दिन उनके ऊपर काफी नियंत्रण नहीं है और वहां पर काम में बहुत ढिलाई होती है और अगर ढिलाई को आप ठीक नहीं करेंगे तो हमारा शासन व्यय धीरे धीरे बढ़ता जायगा, इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे विपक्षी लोगों ने शासन व्यवस्था की टीका टिप्पणियां कीं और मेरे मित्र श्री लंका सुन्दरम ने फरमाया कि लोगों की क्रय शक्ति के परिणाम बड़े विनाशकारी हो रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) ने बताया कि ६९ लाख रुपया और ५५ लाख रुपया प्रोक्योरमेंट (समाहार) वगैरह पर बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने रुपया बर्बाद नहीं किया है उस ने अन्न के खरीदने में और देश को खाद्य वस्तुएं प्राप्त कराने में यह रुपया खर्च किया है। और उससे देश को बहुत लाभ हुआ है विरोधी पक्ष के लोगों को चाहिये कि पहले उन आंकड़ों को ठीक तरह से अध्ययन करें और पता लगावें कि वास्तव में किस तरह से खर्च किया गया है और तब टीका टिप्पणी करें, तभी लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय: यदि माननीय सदस्य समय के अन्दर अपना भाषण समाप्त कर लेते हैं तो मैं एक अन्य माननीय सदस्य को भी बोलने का अवसर दे सकता हूं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे देश में होल्डिंग (अनुचित संचय) और ब्लैक मार्केटिन्ग (चोर बाज़ारी) आदि की कुरीतियां मौजूद हैं और उन कुरीतियों को दूर करने के लिये हम ने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने चुनाव के समय जनता को यह वचन दिया था कि हम जल्दी ही बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए म चाहता हूं कि शीघ्र ही हम इस ओर कदम उठायें ताकि यह जो कुरीतियां हमारे समाज में फैल रही हैं, उन को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, साथ ही साथ मैं आप से यह कहूंगा कि हमारा शासन पर बहुत ज्यादा खर्च होता है नौकरियों पर बहुत ज्यादा खर्च होता है टौप हैवी एक्सपेंडीचर (अत्यधिक शासन व्यय) हो गया है उस को हमें घटाने की कोशिश करनी चाहिये और उसके बदले अधिक प्रतिशत खर्च हमें जन सेवा कार्यों में करना चाहिये। एक आखिरी बात इंकमटैक्स (आय कर) जो हमने देशी राज्यों में लगाया.....

सभापति महोदय: शांति शांति। माननीय सदस्य को अब अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये। श्री राजभोज।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है कि आज इतने बड़े और महत्वपूर्ण विषय में हम लोगों को बोलने का इतना कम समय दिया गया है और पांच मिनट में मुझे समाप्त करने की आज्ञा दी गई है, तो भी मुझे जो यह समय पांच मिनट का दिया गया है उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन (संविधान) में शैड्यूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियों) के लिए जो लिखा है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके

[श्री पी० एन० राजभोज]

मुताबिक आज काम नहीं हो रहा है । आज शरणार्थियों को बसाने के लिये भारत सरकार करोड़ों रुपया हर साल खर्च कर रही है, लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट के लोग जो आज हज़ारों वर्षों से गिरी हुई अवस्था में रह रहे हैं उन की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जाता । गांधी जी ने अछूतों को ऊपर उठाने की कोशिश की, यह सही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आज की हुकूमत गांधी जी को मानने वाली है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट (सरकार) ने अछूतों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये क्या स्कीम (योजना) बनाई है सिर्फ लम्बी चौड़ी बातें ही करना जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं । कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि हमारे लिए ज़मीन, मकान और शिक्षा आदि का प्रबन्ध करने के लिए एक स्कीम बनानी चाहिये ताकि अछूतों के लिये मकान, आर्थिक और शिक्षा देने का समुचित प्रबन्ध हो सके, १७ लाख रुपया स्कालरशिप (छात्रवृतियों) स्ते रखा गया है, लेकिन काश्मीर और दूसरी अन्य स्टेट्स (राज्यों) के शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के आ जाने के कारण यह १७ लाख की रकम बहुत कम साबित हो रही है । मैं समझता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक सेप्रेट कमीशन (आयोग) बनना चाहिये जो हमारी अवस्था को ध्यानपूर्वक विचारे और उसको उन्नत करने की कोशिश करे। मैं चाहता हूं कि अछूतों की दशा सुधारने के लिये और उनकी सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार से उन्नति करने के लिए बजट में एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिये जो उन पर खर्च की जा सके । मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में एक स्कीम भी है और गवर्नमेंट ने कांस्टीट्यूशन में भी उनके लिए कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरी शिकायत है कि जो कुछ हमारे लिये विधान में लिखा है उस पर अमल नहीं किया जाता यह बड़े दुख और खेद की बात है कि हम कुल ७२ कांग्रेस हरिजन मेम्बर्स (सदस्य) हैं, लेकिन हम लाचार हैं और हम कुछ नहीं कर सकते । और हम अपोजीशन (विरोधीदल) में जो लोग हैं और उस पर अमल करना हमारी बात सुनना तो दूर, हम को बोलने का समय भी नहीं मिलता है । ताकि हमारी जो तकलीफें हैं हमारी जैसी हालत है और हम अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते उन की तरफ ध्यान दिला सकूं । मैं हाउस (सदन) से अपील करता हूं कि वह हमारी तरफ ध्यान दे और अछूतों की दशा सुधारने का सवाल ऊपर उठाये और सरकार पर दवाब डालें । मैं और ज्यादा बोलना चाहता था, लेकिन अब टाइम(समय) नहीं है। अन्त में मैं फिर आप से यह प्रार्थना करूंगा कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार काम न होगा तो अछूतों की दशा सुधारने के लिये सेप्रेट कोलोनी और सेप्रेट कमीशन सरकार को बनाना चाहिये जो हमारी आर्थिक और सामाजिक अवस्था को उन्नत करे और अछूतों में शिक्षा का प्रचार करे । मैं चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन में जैसा लिखा है उस के मुताबिक अमल होना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : बजट की चर्चा में वित्त मंत्री को ही अन्त में आलोचना का लक्ष्य बनाया जाता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि वित्त मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें उठाई गई । जैसा कि आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि जितना समय मुझे दिया गया है उतने में समस्त बातों का उत्तर देना मेरे लिये असम्भव होगा । वर्ण-माला तथा अन्य कारणवश मेरे विचार में यह अच्छा होगा कि मैं पहले आसाम की शिकायतों को लूं ।

जहां तक चाय का सम्बन्ध ह मेरे विचार में आज प्रातः ही एक प्रश्न का

उत्तर दिया जा चुका है जिस में यह स्पष्ट रूप से बतलाया जा चुका है कि चाय किस प्रकार से उत्पादित की जा रही है तथा उसे सहायता मिलनी चाहिये अथवा नहीं और यदि मिलनी चाहिये तो कि स सीमा तक मिलनी चाहिये तथा इस के सम्बन्ध में भारत सरकार जांच कर रही है।

जहां तक आसाम को अन्य प्रकार की सहायता देने का सम्बन्ध है, हमें ज्ञात है कि आसाम की अपनी विशेष समस्यायें हैं तथा अन्य मामलों की तुलना में कदाचित, विशेष विपत्तियां बहुत शीघ्र आती हैं। किन्तु मैं यह बतला देना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। इस बारे में हम ने पहले ही से सक्रिय कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया है। उनकी विशेष समस्याओं का अध्ययन करने विशेषकर, उनके कुछ कस्बों को जैसे डिब्रूगढ़ जिन में बहुधा बाढ़ आती रहती है और आगे होने वाली हानि से बचानें के सम्बन्ध में उपाय ढूंड निकालने के लिये हम आसाम को शीघ्र ही अधिकारियों की एक टोली भेज रहे हैं।

श्री ब्रह्मो-चौधरी (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां — रक्षित — अनुसूचित आदिम जातियां) : ग्वालपाड़ा को भी नदी काटे डाल रही है उस के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

श्री सी० डी०देशमुख : हां, मैं यह कहूंगा कि आसाम की पंच वर्षीय योजना में लगभग १२·५ करोड़ रुपये लगने का अनुमान लगाया गया है तथा ऋण अथवा अन्य किसी उपयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार आसाम की इस राशि में से ११ करोड़ रुपये तक की सहायता करने की आशा रखती है।

अब मैं आसाम की अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों को लेता हूं। जिन सदस्यों ने उनकी ओर से यहां भाषण दिये हैं मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि उनके कल्याण तथा विकास की भी केन्द्रीय सरकार को बहुत चिन्ता है और ज्यों ही धन उपलब्ध होगा इस सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही की जायेगी कि हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा के इन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास हो।

अब मैं अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ले सकता हूं। मैं इस बात को शीघ्र से शीघ्र स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समयोजन के समय जो वित्तीय व्यवस्था की गई थी उस से मुहं नहीं मोड़ा जायेगा। विशेष आवश्यकतायें तो उत्पन्न होती ही हैं तथा उनकी और ध्यान दिया जाता है उदाहरण के रूप में त्रावनकोर तथा कोचीन और उन की सहायता का ही मामला ले लीजिये। सम्भव है कि इस सम्बन्ध में उनकी इच्छायें पूर्णतः पूरी न हुई हों। किन्तु भारत सरकार को तो सब बातें अखिल भारतीय दृष्टिकोण से देखनी होती हैं तथा विशेषकर उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि चूंकि त्रावनकोर-कोचीन से निर्यात किये गये सामान से अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त होता है अतः वे लोग विशेष रियायत के हकदार हैं। यह बात इतनी सरल नहीं है जितनी कि प्रतीत होती है। आखिरकार, हमारे जैसे देश के किसी भी भाग के सम्बन्ध में विदेशी विनिमय का संतुलन अलग से तैयार करना सम्भव नहीं है यहां तक कि किसी राज्य के सम्बन्ध में भी नहीं। कुल विदेशी विनिमय में से त्रावनकोर-कोचीन अपनी आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करता है इसके सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। कुछ भी हो, मेरे विचार में समस्या को सुलझाने का यह ग़लत तरीक़ा है तथा यदि कोई विशेष आवश्यकतायें हैं तो हमें उन के गुणों के अनुसार

[श्री सी० डी० देशमुख]

विचार करना चाहिये न कि अस्पष्ट सिद्धान्तों के अनुसार ।

जहां तक राज्यों की इस सामान्य शिकायत का सम्बन्ध है कि उनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये उनके संसाधन अपर्याप्त हैं, मेरे विचार में इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है तथा मैं आशा करता हूं कि वित्त आयोग कोई ऐसा रास्ता निकालने में कामयाब होगा जिससे देशमुख पंचाट के परे उन की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें । यह एक अन्तरिम पंचाट था । जिसका ध्येय वित्त आयोग द्वारा अपना निर्णय देने तक स्थिति को संभाले रखना था। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे इस में कोई आपत्ति न होगी यदि उसकी सिफारिश कुछ इस प्रकार की हो कि राज्यों को कुछ अतिरिक्त संसाधन भी दे दिये जायें । मैं उन माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं जिन्होंने यह कहा था कि " ऐसा करके आप व्यय के सम्बन्ध में राज्यों पर पूरा पूरा और ठीक उत्तरदायित्व डाल देंगे " बजाय इस के कि आप उनके व्यय करने के तरीकों का निरीक्षण करें या उन्हें केन्द्र से किसी प्रकार की सहायता दें ।

क्योंकि मैं उस महत्वपूर्ण विषय को छोड़ चुका हूं जिसके सम्बन्ध में केवल सामान्य बातें कही जा सकती हैं इसलिए अब मैं विशिष्ट अलोचनाओं को लेता हूं । किन्तु इसके सम्बन्ध में भी मुझे फिर इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि विरोधी दल आंकड़ों में विशेष रुचि दिखलाने लगा है । वास्तव में, अब तो मैं यह सोचने लगा हूं कि जब हमारे आंकड़े सम्भावना के सिद्धान्त पर आधारित होते हैं तो दूसरी ओर बैठे हुए दल के सदस्य कुछ ऐसे आंकड़े पेश करते हैं जो असम्भावना के सिद्धान्त पर आधारित होते हैं। [अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

आप ही देख लीजिये माननीय सदस्य डा० लंका सुन्दरम् ने आंकड़ों का उद्धरण किया था यद्यपि उन्होंने मुझ पर यह दोष लगाया था कि मैं आंकड़ों का उद्धरण करता हूं तथा यह भी कहा था कि वह केवल उदाहरण दे रहे हैं तथा करारोपण की मुख्य बात को नहीं उठा रहे हैं कि—सन् १९४९-५० तथा १९५०-५१ मे हम ने ६·५० रुपये तथा १६·३३ करोड़ रुपये की छूट दी किन्तु पता नहीं कि बाद में यह प्रक्रिया क्यों उलट दी गई । मेरा विश्वास है कि कदाचित् वह इस बात को बतलाना भूल गये कि पहले वर्ष में १८.५८ करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त करारोपण किया गया था तथा इस प्रकार सब बातों को देखते हुए करारोपण में केवल १२.०८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी अतः वर्तमान वित्त मंत्री को अन्याय्यता के सम्बन्ध में उन्होंने जो भद्दी तस्वीर खींचनी चाही थी वह उतनी भद्दी नहीं थी जितनी कि वह उसे दिखलाना चाहते थे । निस्सन्देह १९५१–५२ में जो अतिरिक्त कर लगाया गया था उसके समर्थन में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि उस पर भी एक ऐसे ही सदन ने पूरी तरह से बहस की थी जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता था तथा जिसने वित्त अधिनियम द्वारा समस्त करारोपण को मंजूर कर लिया था ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि इन मामलों में एक तरह से ऐतिहासिक आश्वासनों के बजाय कुछ बातों से बंध जाना पड़ता है । १९५०-५१ के करारोपण की बहस के दौरान में मेरे पूर्वाधिकारी ने कहा था :

"अब मैं करारोपण के स्तर को एक ऐसी सीमा तक ले आया हूं जिसको मेरे विचार में देश की

> आर्थिक व्यवस्था सहन कर सकती है और उसे सहन भी करना चाहिये जहां तक मेरा सम्बन्ध है, जब तक मुझे वित्त मंत्री पद से कुछ भी सरोकार रखना है केवल ऐसे छोटे मोटे समयोजनों को छोड़कर जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर करना पड़े प्रत्यक्ष करारोपण के स्तर में और आगे कोई कमी न हो सकेगी। अतः उन लोगों के लिये यह अच्छा होगा जिन पर प्रत्यक्ष करारोपण का प्रभाव पड़ता है कि वे इस बात को ध्यान में रखते हुए वे अपने आपको करारोपण के इस स्तर के अनुकूल बना लें तथा इसी से संतुष्ट रहें।"

मैं इस का उद्धरण इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं इन बातों से सहमत हूं।

मुझे जिस दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह यह कि मेरे सामने बैठे हुए माननीय सदस्यगण हमेशा उन भाषणों का कोई ध्यान नहीं रखते जो कि यहां तक कि इसी सत्र में इस सदन में या राज्य परिषद् में दिये गये हैं। उदाहरण के लिये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण का यह प्रश्न मेरे द्वारा विस्तार में बताया जा चुका है। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि सरकार की आलोचना करने वालों ने उन बातों पर ध्यान देने का कोई कष्ट उठाया है। भाषणों में से एक में यह भी कहा गया था कि सोवियत रूस में व्यापार आयुक्त क्यों नहीं नियुक्त किया गया। इस मामले को भी मैं ने विस्तार में राज्य परिषद् में स्पष्ट कर दिया था। संक्षेप में, मैं ने यह कहा था कि क्योंकि सोवियत रूस में समस्त व्यापार राज्य द्वारा किया जाता है इसलिये एक राजनयिक प्रतिनिधि का वहां रहना ही पर्याप्त है तथा वहां वाणिज्यिक प्रतिनिधि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि की रखने को आवश्यकता तब होती है जब आपको सम्भावी आयात करने वालों या निर्यात करने वालों से जैसा भी मामला हो सम्पर्क स्थापित करना हो।

तीसरी कठिनाई यह है कि विरोधी दल अब तक यह नहीं समझ पाया है कि आखिर उसे कहना क्या है। विरोधी दल का हर एक सदस्य अपना राग अलापता है। परिणाम यह होता है कि वे जो कहना चाहते हैं उसे नहीं कह पाते हैं।

अब मैं विरोधी दल के सदस्य पंडित मिश्र की बात लेता हूं। उन्होंने कुछ आंकड़े बतलाये थे। मेरे विचार में उन्होंने कहा था कि हक लाभ में से लाभांश के रूप में विदेशियों को ६९ करोड़ रुपये देते हैं।

पंडित एस० सी० मिश्र : जी नहीं।

श्री सी० डी० देशमुख --: हो सकता है मैं ने सूनने में गलती की हो। यदि यह बात नहीं है तो मेरे विचार में वह उस राशी का निर्देश कर रहे हैं जो हम पुनः भुगतान तथा ऋण से बचने के लिये देते हैं।

पंडित एस० सी० मिश्र : ऋण पर ब्याज।

श्री सी० डी० दशमुख : इस विषय में उनकी क्या शिकायत है यह मैं नहीं जानता मेरा पालन पोषण कुछ सिद्धान्तों को लेकर किया गया है। पहला यह कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिये जितनी लम्बी उसकी चद्दर हो ; दूसरे, अपने वचनों का पालन करना चाहिये तथा तीसरे, अपने ऋण का भुगतान करना चाहिये।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : विरोधी दल इन तीनों बातों से सहमत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि समाहार कार्य में ५५ करोड़ रुपये खो दिये गये हैं तथा यह एक बड़ी भारी गलती है। उन्हीं के दल के सदस्य बम्बई इत्यादि में इस बात के लिये मोर्चे ले रहे हैं कि अनाज सम्बन्धी सहायता क्यों हटा ली गई। यद्यपि इस बात को जानते हुए भी कि वह बजट के आंकड़ों से भलीभांति परिचित नहीं हैं फिर भी मैं यह कहूंगा कि हम हमेशा उन बातों को स्पष्ट करने के लिये उपलब्ध हैं जो ऊपर से समझ में न आती हों। मेरे विचार में उन्होंने इस बात को समझने का प्रयत्न किया होता कि यह ५५ करोड़ रुपये एक न एक प्रकार से अनाज सम्बन्धी सहायता है अतः इस विषय में भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनकी शिकायत क्या है।

तीसरे उन्होंने यह भी कहा था कि अन्तरिम बजट में एक मद के अन्तर्गत ४,००० रुपये दिखाये गये थे जब कि अब उसी के अन्तर्गत वे बढ़ा कर ४० करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

पंडित एस० सी० मिश्र : दस करोड़।

श्री सी० डी० दशमुख : मुझे खेद है, जल्दी में कुछ गलत कह गया। मेरा अभिप्राय १० करोड़ से था। यद्यपि हमने इसका उल्लेख नहीं किया है फिर भी इस का स्पष्टीकरण बहुत सरल है। तब में और अब में जो बहुत से परिवर्तन हुए हैं उनके सम्बन्ध में बहुत सी बातें बतानी हैं। जैसा कि संसद् को पहले ही बतलाया जा चुका है यह वह राशि है जो उधार लिये गये अमेरिकन गेहूं को बेच कर प्राप्त हुई है तथा जिसे बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार विशेष विकास विधि म डाल दिया गया है। हम ने अनुमान लगाया था कि पिछले वर्ष ही हमें सारा गेहूं मिल जायेगा तथा गत वर्ष ही ७१ करोड़ रुपये को इस निधि में हस्तान्तरण के लिये अनुमति ले ली थी। किन्तु वास्तव में, १९५१–५२ में कुल ६१ करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे। अतः इस वर्ष के बजट में हमें शेष १० करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ी। मेरे विचार में अब इस स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट हो गये होंगे।

अब में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण को लेता हूं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हीं बातों को बार बार दोहराऊं जिन्हें मैं पहले ही बतला चुका हूं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बतला देना चाहूंगा। सन् १९४९–५० तथा सन् १९५०–५१ में जो कर सम्बन्धी रियायतें दी गई थीं वह १५,००० रुपये से नीचे आय वालों के लिये २५ प्रतिशत तक थी जब कि ऊंची आय वालों को यह केवल ११ प्रतिशत तक थी। अतः करारोपण की नीति प्रगतिशील थी। मैं यह पहले ही बतला चुका हूं कि ऊंची आय वालों से जो कर लिया जा रहा है वह किस प्रकार बढ़ता जाता है। पिछले भाषण के दौरान में मेरे एक माननीय मित्र ने स्मरण कराया था कि करारोपण के सम्बन्ध में प्राचीन स्मृति कारों की जो नीति है उसकी तुलना शहद को मक्खी से की जा सकती है।

पुष्पं पुष्पं विचिन्वति मूलच्छेद न कारयेत्।
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः॥

जिसका अभिप्राय यह है कि राजा या सरकार को एक माली को तरह कार्य करना चाहिये जो केवल फूल तोड़ते हैं न कि खनिक अर्थात् लकड़ी जलाने वाले की तरह जो पेड़ काट कर उनके कोयले बना लेता है किन्तु इस प्रकार वह उसके श्रोत को ही नष्ट कर देता है। यह तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने की कथा के समान ही है। अतः पूंजी कर लगाना या करारोपण बढ़ाना केवल कुछ ही सम य

तक काम दे सकता है उन पर हमेशा के लिये निर्भर नहीं हुआ जा सकता । किन्तु मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि कर आय के अनुसार न लगाया जाये । कर लगाने का ढांचा तो समय समय पर परिस्थितियों पर निर्भर करता है । मेरे विचार में मैं पहले ही इस बात पर ध्यान दे चुका हूं कि व्यापारी वर्ग ने अपनी लगाई हुई पूंजी पर कम लाभ मिलने की आशा करना आरम्भ कर दिया है । समुदाय के प्रति वह कुछ कुछ अपने उत्तर-दायित्व को समझने लगे हैं । हो सकता है एक दिन ऐसा भी आये जब वे स्वयं ही अधिक कर देने के लिये तैयार हो जायें । किन्तु यह सब तो भविष्य की बाते हैं जिनके सम्बन्ध में यहां निर्देश करना व्यर्थ है ।

जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं गत वर्ष अप्रत्यक्ष करारोपण से जो हमें आय हुई थी उसका अधिकतर भाग निर्यात शुल्क से प्राप्त हुआ था तथा इस प्रकार साधारण व्यक्ति को कोई अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ा था । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहूंगा । हमारे जैसे देश को देखते हुये मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं कि साधारण व्यक्ति कोई कर न दे । जो लोग अन्य देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन करते रहे हैं उन्हें हाल के कार्यक्रमों से पता लगेगा कि कर देने पर अधिक ज़ोर दिया गया है जो कि साधारण व्यक्ति पर पड़ता है । गत वर्ष अपने बजट भाषण के दौरान में मैं ने एक साधारण व्यक्ति से प्राप्त हुये एक पत्र का निर्देश किया था । उसमें उसने लिखा था कि जब मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो पाता हूं कि राज्य ने मेरे लिये बहुत कुछ किया है किन्तु मैं ने उसको बनाये रखने के लिये कुछ नहीं किया है । अतः उसने प्रति वर्ष पांच रुपये देने की इच्छा प्रगट की थी ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : वह साधारण व्यक्ति कौन है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उसी व्यक्ति ने इस वर्ष भी मुझे एक पत्र भेजा है जिस में वह लिखता है : "मैं आप को स्मरण करा देना चाहता हूं कि मैं ने प्रति वर्ष राज्य को पांच रुपये भेजने का वचन दिया था । अतः कृपा कर के इसे स्वीकार कीजिये । यह एक ग़रीब आदमी की तुच्छ भेंट है । मैं एक ग़रीब किसान हूं । अतः आप मेरी लिखाई की ग़लतियों को क्षमा करेंगे ।" मेरे विचार में यह बहुत ही हृदयस्पर्शी है क्योंकि इसे उसने स्वयं लिखा है । इस बात को बतला कर मैं क्या करूंगा कि वह देश के मेरे ही भाग से आया है ।

श्री नम्बियार: क्या वह अंग्रेज़ी में है ?

श्री सी० डी० देशमुख: वह मराठी में है । यदि आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं । यदि सदन चाहे तो यह देखने के लिये उपलब्ध हो सकता है । मैं यह भी कह देना चाहूंगा कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का है जिससे मेरे माननीय मित्र आये हैं अर्थात् रत्नगिरि से ।

यह बात कहनी कि जन साधारण इतना ग़रीब है कि वह कर नहीं दे सकता बिल्कुल ग़लत है क्योंकि कर लगाये बिना कोई भी राज्य चल ही नहीं सकता है ।

अनेक सदस्यों ने बहुत सी बातें उठाई हैं जिन सब का यहां उत्तर देना मेरे लिये कठिन है । यदि वे चाहें तो इन्हें पुनः अवसर आने पर उठा सकते हैं । मैं एक बात की ओर विशेषरूप से निर्देश करना चाहूंगा और वह है मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य का पुराना अलाप अर्थात् हिन्दू संयुक्त परिवार । जो

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूसरी बात उठाई गई है वह यह है कि वित्त मंत्रालय कोई नियंत्रण नहीं रखता । मेरी समझ में नहीं आता कि यह धारणा कैसे फ़ैल गई है ।

एक माननीय सदस्य : बहुत अधिक नियंत्रण रखता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अपने आगे पीछे अब भी यही बातें सुन रहा हूं कि बहुत अधिक नियंत्रण रखा जाता है तथा मुझे हमेशा ही हठी और बाधक समझा जाता है । अतः वास्तव में, मैं इससे यह अनुमान लगा सकता हूं कि हम अपने कर्तव्य का सुचारु तथा क्रियाकारी ढंग से पालन कर रहे हैं । हमारे यहां एक वित्तीय संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारी भी हैं जो विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध हैं । ज्यों ही प्रस्ताव रखे जाते हैं यह अधिकारी उनकी परीक्षा करते हैं । अतः माननीय सदस्यों में से एक ने जो इस प्रकार की बात उठाई थी वह वास्तव में उत्पन्न ही नहीं होती—मेरे विचार में श्री बी० दास ने यह बात उठाई थी कि जब बजट बन कर तैयार हो जाता है तब वित्त मंत्रालय कड़ाई से काम लेता है और कहता है, "नहीं, तुम्हारा भाग केवल इतना ही रहेगा।" प्रायः इस प्रकार की कोई बात नहीं होती क्योंकि व्यय या तो नियमित ढंग का होता है, और ऐसे मामले में छानबीन भी कम करनी होती है, या फिर विशेष प्रकार का अर्थात् नया व्यय तथा नई योजनायें जिनकी पूर्णरूप से छानबीन की जाती है । मितव्ययता सम्बन्धी कार्यवाही करने में कुछ ऐसी बात हुई थी । माननीय सदस्य ने छंटनी समिति का निर्देश किया है । मैं नहीं कह सकता कि उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी किन्तु मेरे विचार में हुआ यह था कि जब तक सरकार ने उस प्रकार की मितव्ययता करने का विचार किया तब तक वित्तीय परिस्थिति और भी बिगड़ गई तथा उसे अतिरिक्त मितव्ययता करनी पड़ी । इस का फल यह हुआ कि प्रत्येक मंत्रालय के बजट में किसी न किसी प्रकार की कटौती करनी पड़ी । किन्तु जैसा कि किसी भी अनुभवी वित्त मंत्री ने बतला दिया होता यह तरीक़ा सफल होने वाला नहीं था । क्यों जब आप को अकाल या अनाज की कमी जैसी परिस्थितियां का सामना करना पड़े तथा खाद्य मंत्री को देश का दौरा करना हो तो किसी भी वित्तीय अधिकारी के लिये यह कहना असम्भव है, "जी नहीं, आप नहीं जा सकते क्योंकि आप ने अपना दौरा भत्ता समाप्त कर लिया है ।" यही बात लेखन सामग्री तथा छपाई के बारे में लागू होती है । क्योंकि दिन पर दिन ज्यों ज्यों प्रजातंत्रवाद फैलता जाता है प्रत्येक वर्ष अधिक काग़ज़ की आवश्यकता होती है तथा मेरे विचार में यह कहना बिलकुल ग़लत होगा कि इस प्रयोग को केवल इसलिये पूरा अवसर नहीं दिया जायेगा क्योंकि वित्त मंत्रालय ने बिना कुछ सोचे समझे यह कह दिया है कि लेखन-सामग्री तथा छपाई के सम्बन्ध में बजट केवल अमुक राशि तक सीमित रखा जायेगा ।

श्री बी० दास : मैं मितव्ययता समिति की रिपोर्ट का निर्देश कर रहा था । उस रिपोर्ट में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें थीं तथा मेरा सुझाव है कि वह रिपोर्ट सदन के सदस्यों को उपलब्ध कर दी जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस सुझाव पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करूंगा । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस रिपोर्ट में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं उनका

हमने पूरा लाभ उठा लिया है तथा वर्तमान सुझाव यह है कि हम सदन के अन्य सदस्यों को भी ऐसी महत्वपूर्ण बातों का लाभ उठाने दें ।

इन बड़े बड़े निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है तथा हमारे पास यह जानने के कोई साधन नहीं हैं कि जो सफलता प्राप्त होती है वह व्यय के मुक़ाबले में ठीक भी है अथवा नहीं । यद्यपि कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जिन में ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सम्बन्ध में कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं रखा गया, किन्तु मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि धीरे धीरे इस प्रकार के नियंत्रण में बराबर सुधार किया जा रहा है तथा बड़े निर्माण कार्य की प्रत्येक यूनिट में अब लेखापरीक्षण की व्यवस्था हो गई है जिससे लेखा रिपोर्ट तैयार होती है तथा आर्थिक दृष्टि से भी रिपोर्ट तैयार की जाती है । इन सब का बड़े ध्यान से परीक्षण किया जाता है । यह भी सत्य है कि पहले हम विकास के लिये बहुत इच्छुक थे तथा बहुत सी योजनाओं पर काम आरम्भ करने से पूर्व उनके उचित रूप से आगणन भी तैयार नहीं कराये जिन को कि अब पूरा किया जा रहा है । वास्तव में, हीराकुड के सम्बन्ध में जो दो समितियां नियुक्त की गई थीं उन में से एक को इस अभिप्राय से नियुक्त किया गया था कि सब से पहले वह इस बात का पता लगाये कि वर्तमान प्रबन्ध में वित्तीय नियंत्रण कहां कहां ढीला है तथा उसे कैसे ठीक किया जा सकता है । हमें अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा रिपोर्ट तैयार करने वालों के साथ हम एक या दो बार बातचीत भी कर चुके हैं तथा मुझे पूरी आशा है कि १४ दिनों में या एक महीने की अवधि में वह रिपोर्ट अन्तिम रूप में हमें सौंप दी जायेगी ।

पूर्व लेखा-परीक्षा करने के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश किये गये थे । इतने विशाल कामों के लिये महा लेखा परीक्षक पूर्व-लेखा परीक्षा की सिफ़ारिश नहीं करते । फिर भी, हम ने समझौता कर के एक ऐसा तरीक़ा निकाल लिया है अर्थात् भुगतान होने से पूर्व किसी केन्द्रीय लेखा कार्यालय में उन की छान बीन होना ; यह वही तरीक़ा है जिस को लायड्स बांध बनाते समय प्रयोग में लाया गया था, यह वही तरीक़ा है जिसको तुंग भद्रा परियोजना में प्रयोग किया जा रहा है तथा हमें बताया गया है कि यह ठीक तरह से कार्य कर रहा है । मैं यह भी बतला दूं कि इसी मामले पर बातचीत करने के लिये आज दोपहर को मैं मुख्य इंजीनियर से भेंट कर रहा हूं तथा उन से बातचीत करने के पश्चात् मैं आशा करता हूं कि हम कोई न कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालने में सफल होंगे जिस से इन बड़े बड़े निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संतोषजनक वित्तीय नियंत्रण रखा जा सकेगा । गत वर्ष मैं इस बात को स्वीकार कर चुका हूं कि यदि हम सावधान न रहे तो इन योजनाओं द्वारा हमारा बहुत सा धन पानी की तरह बह जाने की सम्भावना है । (**अन्तर्बाधा**) अतः जब तक वित्त मंत्री इस ओर जागरूक हैं तब तक चिन्ता करने का कोई विषय नहीं है । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं ।

अब मेरे पास केवल दो मुख्य बातों के सम्बन्ध में कुछ कहने का समय बच रहा है । उसमें से विदेशी सहायता एक है जिसके सम्बन्ध में मेरे माननीय सदस्य श्री बंसल ने काफ़ी प्रबल बातें कही हैं । यद्यपि हम ने यह बार बार स्पष्ट कर दिया है कि हम विदेशी सहायता ले तो रहे हैं पर इस सम्बन्ध में हम अपने निश्चय करने की स्वतन्त्रता पर कोई आंच नहीं आने दे रहे हैं । इतना

[श्री सी० डी० देशमुख]

होने पर भी बार बार हम पर यही आरोप लगाया जाता है कि हम विदेशी सहायता बिना किसी बात के ले रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि एक अविकसित देश क्या कर सकता है जब कि उसके संसाधन सीमित हों। यदि ऐसी विदेशी सहायता हमारी मान मर्यादा के विरुद्ध न हो तो उसे स्वीकार करने में क्या हानि है। अन्य देशों के उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं किसी ऐसे देश का स्मरण नहीं कर सकता हूं जिस ने ऐसी सहायता अस्वीकार कर दी हो यहां तक कि ऐसे देशों नें भी जिन्होंने, निस्सन्देह, राष्ट्रीय योजना के आधार पर काफी सफ़लता प्राप्त की है। अतः इस मामले में हमारा अन्तःकरण बिल्कुल साफ़ है। यदि एक बार हम यह निश्चय कर लेते हैं कि हमें विदेशी सहायता लेनी है चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो—चाहे वह राज्य की सहायता हो, चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय बक से लिये जाने वाले ऋण के रूप में हो, चाहे वह ग़ैर-सरकारी पूंजी के रूप में हो—मैं नहीं समझता कि हमें ऐसी सहायता स्वीकार क्यों नहीं करनी चाहिये, यदि हमें ऐसी सहायता लेनी है तो हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी ही पड़ेंगी जिन में हम ऐसी सहायता ले सकें। यद्यपि अधिक मात्रा में विदेशी सहायता लेने के सम्बन्ध में कुछ ताने मारे गये हैं फिर भी मैं यह नहीं समझ पाता कि इन शर्तों पर सहायता प्राप्त करने में क्या हानि है।

एक बात यह भी कही गई थी कि हमें विदेशी विनियोगों पर लाभांश देना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। हो सकता है कि अनेक वर्षों की लम्बी अवधि में लाभांश के रूप में बहुत अधिक राशि दी जा चुकी है, किन्तु सामान्य सिद्धान्त यह है कि हम उन्हें इस बात की प्रत्याभूति दे चुके हैं कि यदि यहां पर विदेशी पूंजी लगाई गई तो हम उसके वापस ले जाने के सम्बन्ध में भी सुविधायें देंगे चाहे वह जब कभी भी मांगी जायें तथा लाभांश के रूप में, राशि देने पर कोई प्रतिबन्ध न होगा। वास्तव में, ३०.७ करोड़ या ३१ करोड़ रुपये की जो राशि भेजी गई है उसमें लाभांश की राशि ९.८२ करोड़ रुपये है तथा विदेशी फ़र्मों और कम्पनियों के लाभ की राशि लगभग २६.९८ करोड़ रुपये है। सदाचार सम्बन्धी बातों को छोड़ कर भी यदि हम लाभांश को भेजना बन्द कर दें तो हो सकता है हम भारतीय अंशधारियों को भी भुगतान करने में आनाकानी करने लगें। हो सकता है कि यह बातें इस सम्बन्ध में स्वीकार किये गये सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न हों। इस का मुख्य परिणाम यह होगा कि भविष्य में आप किसी भी विदेशी सहायता के प्राप्त करने की आशा न कर सकेंगे। यह तो फ़िर आशावाद का ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। चाहे यह बात अनुभव के आधार पर कही गई हो या बिना अनुभव के आधार पर कही गई हो, मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य समझते हैं कि भारत जैसा देश अपने संसाधनों —चाहे उन्हें आप कुछ भी कहें, विशाल अथवा ख़त्म न होने वाले—वास्तव में न वे विशाल हैं न ऐसे ही हैं जो ख़त्म न हो सकें—के बल पर बिना विदेशी सहायता लिये, चाहे वह टैकनिकल ज्ञान के सम्बन्ध में हो, चाहे पूंजी के सम्बन्ध में, अपना काम चला सकता है। किन्तु हम उन से यहां सहमत नहीं हो सकते क्योंकि हमारे विचार में आगामी वर्षों में जब तक अन्य देशों में पूंजी की अधिकता है तब तक हम उसका अपनी शर्तों पर प्रयोग कर सकते हैं।

इस प्रकार अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं और वह है योजना के लिये वित्त की

व्यवस्था करना । मेरे विचार में अभी से यह भविष्यवाणी करना कि जिन राजस्व सम्बन्धी आशाओं को ले कर यह योजना बनाई गई है वह पूरी भी होंगी या नहीं, कुछ ठीक न होगा । जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है मेरे विचार में हमारे द्वारा आधिक्यता दिखलाना ही ठीक है क्यों इसी आधार को लेकर योजना आयोग ने यह योजना तैयार की है ।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, गत वर्ष की स्थिति कोई सन्तोषजनक नहीं थी । किन्तु इस वर्ष अभी से ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई राज्य सरकारें अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से लाभ उठाने की उत्कण्ठा प्रकट कर रही हैं ।

करारोपण के सामान्य स्तर के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह धारणा कि अब और अधिक करारोपण करने की गुंजाइश नहीं है—चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष—संकुचित है तथा स्थिति को अध्ययन करने के पश्चात् नहीं बनाई गई है । यहां पर कुछ आंकड़े मौजूद हैं जो शायद सदन को रुचिकर लगें । करारोपण को यहां पर राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है । लंका में २१.५ प्रतिशत था; मिश्र में १६ प्रति शत; क्यूबा में १५.५ प्रति शत; चाइल में १५.१ प्रति शत ; कोलम्बिया में १४.४ प्रति शत ; ब्राज़ील में १२.५ प्रति शत ; फ़िलीपीन्स में ९.५ प्रति शत तथा भारत में ७ प्रति शत ।

श्री बी० दास : यह ७ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा करारोपण है या राज्य द्वारा...

श्री सी० डी० देशमुख : देश में कुल करारोपण । मेरे विचार में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये किन्तु मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि कम से कम विकास कार्यक्रम को भी कार्यान्वित करने के लिये हमें जितने धन की आवश्यकता है तथा जितना हमें अब प्राप्त हो रहा है उनके बीच की कमी को करारोपण से पूरा किया जा सकता है । सब कुछ होने पर भी यह कमी बनी ही रहेगी । इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाना चाहिये तथा किस सीमा तक खतरा मोल लेकर हम घाटे का बजट तैयार कर सकते हैं, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अलग से भाषण दिया जा सकता है । मेरे विचार में यह एक एसा विषय है जिस के सम्बन्ध में यदि विस्तार में न कहा जाये तो सन्देह यह कि ग़लतफ़हमी दूर होने की बजाय और बढ़ सकती है ।

श्रीमान्, चाहे कुछ भी हो, मेरे विचार में यदि हमें इसके सम्बन्ध में संदह भी हो तो भी आलसी की तरह पड़े रहने से कुछ काम करना अच्छा है । सदन की याददाश्त के लिए मैं एक फारसी शेर पढ़ता हूं :

कोशिशे बेहूदा बेहअज खुफ्तगी

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : बहुत खूब ।

श्री सी० डी० देशमुख :.... जिसका साधारण भाषा में यह अर्थ हुआ :

श्रेयान् सुप्तेरर्थहीनोऽपि यत्नः

श्री श्यामनन्दन सहाय : बिल्कुल ठीक ।

श्री **वैलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सरल भाषा में इस का क्या अर्थ हुआ ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस का अर्थ यह है कि सोते रहने से तो ऊटपटांग काम करना ही अच्छा है ।

माननीय सदस्य अपने विलाप की कहानी में क्रान्ति की भी बातें करते हैं । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ सीमा

[श्री सी० डी० देशमुख]

तक यह कोरे स्वपन देखना है । मेरे विचार में देश की स्थिति बहुत अच्छी है तथा वे जिस क्रान्ति की भविष्यवाणी करते रहते हैं वह अभी कई वर्षों तक नहीं आनी है । अतः अभी उन्हें काफी समय तक राजनैतिक क्षेत्र में भटकते रहना पड़ेगा ।

श्री बैलायुधन : पहले भी बहुत से लोग ऐसा ही कह चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या २५, २६, २७ २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, १०९, ११०, १११ ११२, ११३, ११४, ११५, ७७, १०२, तथा १०३ के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिए उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ-तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन द्वारा यह मांगें स्वीकृत की गईं :

मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय—८०,७७,०० रुपये
मांग संख्या २६—बहिः शुल्क—१,७४,११,००० रुपये
मांग संख्या २७—संघ उत्पाद शुल्क— ४,४९,७९,००० रुपये
मांग संख्या २८—निगम कर सहित आयों पर कर—२,८५,३६,००० रुपये
मांग संख्या २९—अफीम—२३,०१,००० रुपये
मांग संख्या ३०—स्टाम्प—६७,१४,००० रुपये
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों तथा खज़ानों के प्रशासन के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान—८,५५,००० रुपये
मांग संख्या ३२—लेखा-परीक्षा—५,०२,६२,००० रुपये
मांग संख्या ३३—मुद्रा—१,५३,३६,००० रुपये
मांग संख्या ३४—टकसाल—६५,०३,००० रुपये
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक निवृत्ति वेतन—१५,३३,००० रुपये
मांग संख्या ३६—आयुवार्द्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति वेतन—२,०७,७५,००० रुपये
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय—१,०५,७९,००० रुपये
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहाय अनुदान—८,८५,९६,००० रुपये
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समन्वय—८५,००० रुपय
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान—१,०५,८५,००० रुपये
मांग संख्या ४१—असाधारण भुगतान—११,१६,३५,००० रुपये
मांग संख्या १०९—भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय—६,३९,००० रुपये
मांग संख्या ११०—मुद्रा पर पूंजी व्यय—२७,००० रुपये
मांग संख्या १११—टकसाल पर पूंजी व्यय—२२,०१,००० रुपये
मांग संख्या ११२—विवृत्ति वेतनों का निष्क्रयण मूल्य—६६,४३,००० रुपये
मांग संख्या ११३—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान—१,५२,००० रुपये

मांग संख्या ११४--वित्त मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय--१०,००,०३,००० रुपये

मांग संख्या ११५--केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम धन--११,३७,३८,००० रुपये

मांग संख्या ७७--संसद् कार्य विभाग--७१,००० रुपये

मांग संख्या १०२--संसद्--७२,१६,००० रुपये

मांग संख्या १०३--संसद् सचिवालय के अन्तर्गत फुटकर व्यय--१६,००० रुपये

विनियोग (संख्या २) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मेरा प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धन राशियों के शोधन तथा विनियोग को अधिकृत करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।*

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुरःस्थापित किया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल ८-१५ म० प० तक के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार ४ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

GIPD—HS— 435 PSD—17-7-53—000